इकाई –2

लोकतन्त्र व कल्याणकारी राज्य का स्वरूप

2.0 इकाई का परिचय

विभिन्न दार्शनिकों ने लोकतंत्र शब्द की अलग–अलग ढंग से व्याख की है। यह सरकार का एक रूप और आदर्श, अकांक्षा, मापदण्ड दोनों ही हैं। लोकतंत्र का मूल तत्व आत्म–शासन हैं। वृहद अर्थ में लोकतंत्र का अर्थ लोगों द्वारा शासन होता है, तथापि समय के साथ–साथ इसके विभिन्न अर्थ माने जाते रहे हैं। लोकतंत्र की प्रकृति के सम्बन्ध में वाद–विवादों ने तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। सर्वप्रथम कि सीमा तक राजनीतिक शक्ति का विभाजन होना चाहिए। दूसरा, क्या लोगों की स्वयं शासन में भाग लेना चाहिए? तीसरा, क्या प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का प्रयोग करके सामूहिक निर्णय लेना उपयुक्त है? प्राचीन ग्रीस में उत्पन्न और कार्यरत प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वयं प्रतिनिधि संस्थाओं के बगैर निर्णय लेते थे। यह विश्लेषण सार्वजनिक चर्चा के महत्व पर जोर देता है। सहभागियों और निर्णय की गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से लोकतंत्र के इस ढांचे की सख्त सीमायें थी। अतः आधुनिक काल में यह सरकार का लोकप्रिय रूप नहीं हैं।

विकास और कल्याणकारी राज्य के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना। सभी अवधारणाओं की भांति विकास से भी कुछ अर्थ उस तरीके में अभिव्यक्त होते हैं। जिसमें उक्त अवधारणा को समझा गया हो साथ ही एक विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में समझने के प्रभावी अथवा प्रचलित रिको में भी हैं। प्रस्तुत इकाई में हम विकास वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का समझने का प्रयास करेंगे जैसे कि वह समय के साथ गर्म विकसित हुआ और विभिन्न तरीकों को भीजिनमें वह समसामयिक विषयों में समझा जाता है।

इसके बाद आपकी समझ बढ़ाने के लिए इकाई के अंत में पाठ्य सामग्री की एक संक्षिप्त सूची दी गई है।

2.1 इकाई के उद्देश्य

1. लोकतंत्र के अर्थ को समझें पाएंगे।
2. उसके विभिन्न रूपों जैसे प्रत्यक्ष और भागीदारी लोकतंत्र में अंतर स्थापित कर लेंगे।
3. लोकतंत्र के विभक्ति रूपों की खूबियों और कमियों का प्रशिक्षण कर पाएंगे।
4. विकास व कल्याणकारी राज्य के कार्य को समझ पाएंगे।
5. सामाजिक परिवर्तन का अर्थ उसके कार्य से हाथों को जानना।

2.2 लोकतंत्र (Democracy)

2.2.1 परिचय

आधुनिक युग में सरकार के विभिन्न रूपों में लोकतंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। इसी कारण से वर्तमान युग को लोकतंत्र का युग कहा जाता है। आज के युग के सभी विद्वान भले ही वे संयुक्त राज्य अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस की तरह कनाडा आदि उदारवादी लोकतंत्र संसार के हुए रूस चीन आदि समाजवादी राज्य की हो अथवा वे एशिया और अफ्रीका के अनेक राज्यों जैसे तीसरे संसार के लोकतंत्र की प्रशंसा करते हैं। और प्रत्येक राज्य अपने को अधिक अथवा वास्तविक लोकतंत्र बताया है।

2.2.2 उद्देश्य

- लोकतंत्र की परिभाषा गुण व उस के बारे में जानना
- लोकतंत्र के प्रमुख से हाथों को समझना
- उदार लोकतंत्र का बहुलवादी लोकतंत्र के मध्य अंतर को समझना
- लोकतंत्र के महत्वपूर्ण संस्थाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानना

2.2.3 लोकतंत्र का अर्थ

लोकतंत्र जिसे अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी (Democracy) कहते हैं यूनानी भाषा के शब्दों दिनों से था कि 'क्रेटिया'(Cratia)से मिलकर बना है। 'डिमोस' का अर्थ है जनता अथवा रोग तथा क्रेटीया का अर्थ है सत्ता अथवा शक्ति इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थवह शासन व्यवस्था है जिसमें तार लोगों के हाथों में होती है। इस प्रणाली में सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसके प्रति उत्तर दाई होती है। विभिन्न विद्वानों ने लोकतंत्र के भिन्न–भिन्न प्रकार से परिभाषाएं की है इनमें से कुछ परिभाषा निम्नलिखित है–

1. अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। (Democracy is a Government of the people, by the people and for the people.)
2. सीले (Seeley) के विचार अनुसार प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। (Democracy is a government in which everyone has a share.)
3. डायसी (Dicey) का कहना है कि प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग समाज का अधिकांश भाग हो। (Democracy is a from of government in which the governing body is complaratively a large fraction of the entire nation.)
4. गिड्डिंग्स (Giddings) के शब्दों में प्रजातंत्र केवल एक शासनकाल नाम नहीं है वरन राज्य का भी एक रूप है तथा समाज के रूप का भी नाम है या फिर तीनों का सम मिश्रण है।
5. गेटेल (Gettell) के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिससे साधारण जनता को प्रभुसत्ता में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। (Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power.)

6. हाल (Hall) के अनुसार लोकतंत्र राजनीतिक संगठन है जिसका लोकमत का नियंत्रण हो। (Democracy is the form of political organisation in which public opinion has control.)

7. हेरोडोटस (Herodotus) का कहना है प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमे सर्वोच्च सत्ता समस्त जाती को प्राप्त हो। (Democracy is that form of government in which of the supreme power of the state is in the hands of the community as a whole.)

8. हर्नशा (Hearnshsaw) ने लिखा है ''संक्षिप्त लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुसत्ता जनता के हाथों में रहती है जिसमें जनता का शासन संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय होता है तथा जनता ही यह निश्चित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन स्थापित किया जाए। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही विधि नहीं है बल्कि वह सरकार की नियुक्ति करने उसका नियंत्रण करने तथा उसे हटाने की भी विधि है।'' (A democreatic state, in short, is simply one in which the community as a whole posses sovereign authority, maintains, ultimate control over affairs and determines what sort of government machinery shall by step by step. Democracy as a form of state is not merely a mode of government but is merely a made of appointing, controlling and dismissing goverment.)

9. महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के शब्दों में सारांश में लोकतंत्र सभी की भलाई के लिए लोगों के सभी प्रकार के वर्गों के शारीरिक आर्थिक और अध्यात्मिक साधना को संगठित करने की कला और विज्ञान है। (Democracy must in essence means the art and science of mobilicing the entire physical economic and spiritual resources of all various sections of people in the service of common good of all.)

10. स्ट्रांग (Strong) के अनुसार ''लोकतंत्र का अभिप्राय ऐसी सरकार से हैं जो शासितो की सक्रिय अनुमति पर आधारित हों।'' (Democracy implies that Government shall rest on the active constent of shall rest on the active consent of the governed.)

11. लार्ड प्राइस (Lord Bryce) के अनुसार ''लोकतंत्र शासक का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन शक्ति किसी एक व्यक्ति किसी एक वर्ग विशेष अथवा वर्ग में नहीं पाई जाती बल्कि संपूर्ण समुदायों के हाथ में रहती है।'' (Democracy is that form of government in which the ruling power of a state is legally vested, not in any particular class or classes but in the members of the community as a whole.)

लोकतंत्र के ऊपर लिखित फ्री भाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन प्रणाली है जिसमें देश का शासन जनता तो भरतपुर आ जाता है तथा जिसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदाई होती हैं।

2.2.4 लोकतंत्र के गुण (Merits of Democracy)

प्रजातंत्र के मुख्य गुण निम्नलिखित हैंः–

उत्तरदायी शासन (Responsible Government)

प्रजातंत्रीय प्रणाली में शासन जनता की इच्छा अनुसार चलाया जाता है। लोगों की इच्छा पर आधारित होने के कारण सरकार में स्थिरता उत्पन्न होती है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने प्रत्येक कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदाई होते हैं।

लोगों का शासन (Rule of the Masses)

प्रजातंत्र लोगों द्वारा लोगों का और लोगों के लिए शासन ने प्रजातंत्र में प्रभुसत्ता जनता के अपने हाथ में होती है। इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वयंशासक होती है और प्रजातंत्र का मुख्य उद्देश्य समस्त जनता की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उन्नति है।

अधिकारों तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा (Protection of the Rights and Liberty)

प्रजातंत्र लोगों की अपनी सरकार होती है। प्रजातंत्र इस प्रणाली में लोगों को अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। विचार व्यक्त करने का अधिकार समुदाय बनाना सरकार की आलोचना करना मत देना चुनाव लड़ना आदि जैसे प्रभावशाली अधिकार केवल प्रजातंत्र प्रणाली में ही संभव है।

क्रांति की संभावना नहीं (No Possibility of Revolution)

प्रजातंत्र एक ऐसा साधन है जिसमें अयोग्य सरकार को बदलने के लिए हिंसक कार्यवाही या नहीं की जाती अपितु जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से बड़े शांति में ढंग से सरकार का वजन सकती है। इस संबंध में गिलक्रिस्ट ने कहा है ''प्रजातंत्र सार्वजनिक सहमति का शासन है इसलिए है क्रांति का नहीं हो सकता।'' (Popular government is a government by common consent, from its very nature, therefore, it is not likely to be revolutionary.)

समानता (Equality)

समानता से अभिप्राय केवल राजनीतिक समानता से नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी इसमें शामिल है। प्रजातंत्र में जाति संपत्ति धर्म में रंग के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

मानवीय विकास (Human Development)

प्रजातंत्र का मुख्य स्तम्भ स्वतंत्रता है स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का पूर्ण रूप में विकास संभव नहीं है। व्यक्ति को जितनी स्वतंत्रता प्रजातंत्र में प्राप्त हो सकती है इतनी किसी अन्य शासन प्रणाली में नहीं होती।

राजनीतिक शिक्षा (Political Education)

प्रजातंत्र प्रणाली में चुनाव होते हैं। भिन्न–भिन्न राजनीतिक दल चुनाव अभियान चलाते हैं और अपने दिल की नीतियों की घोषणा करते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती हैं और शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इन सभी कार्यों द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है।

कानूनों का अधिक परिपालन (More Obedience of Laws)

प्रजातंत्र में लोगों के निर्वाचित सदस्य कारण का निर्माण करते हैं। यह स्वाभाविक है कि जनता की इच्छा अनुसार जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित कारणों का पालन भी अधिक होगा।

देशभक्ति की भावना का विकास (Development of Spirit of Patriotism)

प्रजातंत्र में लोगों की अपनी सरकार होती है। लोगों का अपने देश के साथ प्यार बढ़ता है और लोग राष्ट्र को अपना राष्ट्र समझते हैं। जी०एस० मिल (J.S. Mill) के अनुसार,''प्रजातंत्र लोगों के देश प्रेम को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक गिराया अनुभव करते हैं कि सरकार उनकी ही बनाई हुई है और मजिस्ट्रेट उनके स्वामी नहीं अपितु सेवक हैं।'' (Democracy strengthens the love of ones country because citizens feels that the government is their own

creation and the magistrates are their servants rather than masters.)

राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण (It builds National Character)

किसी शासन की श्रेष्ठता केवल शासन प्रबंध आर्थिक उन्नति और निष्पक्ष न्याय पर ही नहीं बल्कि नागरिकों के चरित्र पर निर्भर है। जो उस शासन का निर्माण करते हैं और शासन की रक्षा करते हैं। प्रजातंत्र राष्ट्रीय स्तर के गुण नागरिक में उत्पन्न करता है। जे०एस० मिल (J.S. Mill) के कथन अनुसार ''प्रजातंत्र शासन अन्य किसी शासन प्रणाली से राष्ट्रीय चरित्र का अधिक और उत्तम विकास करता है।'' (Democracy promotes a better and higher from of national character than any other policy what so ever.)

2.2.5 प्रजातंत्र के दोष (Demerits of Democracy)

प्रजातंत्र में जहां एक और अनेक गुण पाए जाते हैं वहीं दूसरी ओर दोष भी पाए जाते है। प्रजातंत्र में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं–

1. **अज्ञानियों, अयोग्य तथा मूर्खों का शासन (It is the Government of Ignorant, Incapable and Fools)**:– प्रजातन्त्र को अयोग्यता की पूजा (Cult of Incompetence) बताया गया है। इसका कारण यह है कि जनता में अधिकतर व्यक्ति अज्ञानी तथा मूर्ख होते हैं। सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) का कहना है ''प्रजातन्त्र बुद्धिहीन व्यक्तियों का शासन है।'' लैकी (Lecky) ने प्रजातन्त्र को सबसे अधिक गरीबों, सबसे अधिक अज्ञानियों तथा सबसे अधिक अयोग्य व्यक्तियों का शासन कहा है।

2. **संख्या को अधिक महत्व (Importancce to Quantity rather than Qualities)** :–प्रजातंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रजातंत्र में प्रत्येक निर्णय बहुमत से किया जाता है। यदि किसी विषय को 50 मूर्ख ठीक कहें और उन्हें 49 बुद्धिमान गलत कहते है तो मूर्खों की बात मानी जाएगी। जनता के प्रतिनिधि बहुमत के आधार पर चुने जाते चुनाव में प्रत्येक नागरिक चाहे वह मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान एक ही वोट डालने अधिकार प्राप्त होता है एक गणितज्ञ और ईंट ढोने वाले का बराबर मत है।

3. **उत्तरदायी शासन नहीं (Not a Responsible Government)** :–प्रजातंत्र सैद्धांतिक तौर पर उत्तरदायी शासन है परंतु वह वार में यह अनु उत्तरदायी है। चुनाव से पहले बड़े–बड़े नेता साधारण नागरिक के पास वोट मांगने आते हैं, परंतु चुनाव के पश्चात वे जनता की इच्छाओं की परवाह नहीं करते।

4. **अमीरों का शासन(It is a Government of the Rich)** :–प्रजातंत्र कहने में प्रजा का शासन है परंतु वास्तव में यह अमीरों का शासन है। प्रजातंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेज दी है जो देश का शासन चलाते हैं। परंतु चुनाव लड़ने के बाद भी है अत्यधिक धन की आवश्यकता होती हैं। कोई अच्छा व्यक्ति धन के बिना चुनाव नहीं लड़ सकता चुनाव में लाखों रुपए खर्च होते हैं।

5. **बहुत खर्चीला (Highly Expensive)** :–प्रजातंत्र शासन प्रणाली बहुत खर्चीली है। इसका शासन संगठन बहुत जटिल है और इसको संविधान के अनुसार चलाने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। प्रजातंत्र में निश्चित अवधि के पश्चात संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। आम चुनाव के प्रबंध पर बहुत धन खर्च होता है। मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर जनता का बहुत सा धन खर्च होता रहता है। मंत्री देश के धन को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। संघात्मक राज्य में यह खर्चा और अधिक हो जाता है। क्योंकि संघात्मक सरकार में

केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त एक इकाई में विधानमंडल मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल तथा गवर्नर होता है अतः यह है शासन प्रणाली बहुत खर्चीली है।

6. **शासन एक कला** (Governance is an Art) :–शासन करना एक कला है और यह प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं मिल सकती। कानून बनाना विशेषज्ञों का काम है और काफी अनुभव और ज्ञान के पश्चात ही रखती। इसमें निपुण हो सकता है परंतु प्रजातंत्र में लिपिक (Clerk) के पद के लिए शिक्षा की योग्यता निश्चित है परंतु मंत्री के पद के लिए यह भी आवश्यक नहीं एक अनपढ़ मंत्री शिक्षा विभाग कैसे संभाल सकता है।

7. **बहुमत की तानाशाही** (Dictatorship of Majority) :–प्रजातंत्र में प्रत्येक निर्णय बहुमत से किया जाता है। जिस कारण प्रजातंत्र में बहुमत की तानाशाही की स्थापना की जाती है। मंत्रिमंडल उसी दल का बनता है जिस दिल को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह अपने शासन व्यवस्था में अपनी मनमानी करता है।

8. बहुमत का शासन नहीं है (Not a Rule of Majority) :– आलोचकों का मानना है कि प्रजातन्त्र वास्तव में बहुमत का शासन नहीं है। यह देखा गया है कि अधिकतर व्यक्ति शासन में कोई रूचि नहीं लेते और न ही अपने मत का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो दल सरकार बनाता है उस के समर्थन में डाले गए वोट कुल वोटों का बहुमत भी नहीं होता है।

9. **सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उन्नति को रोकता है (It checks the cultural and scientific development of the nation)** :– प्रजातंत्र शासन में कला साहित्य विज्ञान सभ्यता संस्कृति आदि की उन्नति रुक जाती है। प्रजातंत्र में राजनीति पर बहुत जोर दिया जाता है पर साहित्य कला विज्ञान आदि की उन्नति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

10. **अस्थाई तथा कमजोर शासन(Unstable and weak Government)** :–प्रजातंत्र में सरकार अस्थाई तथा कमजोर होती है। जिन देशों में बहुदलीय प्रणाली होती है। वहां पर सरकारें जल्दी–जल्दी बदलती है बहुत लिए प्रणाली के अंतर्गत किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण मिली जुली सरकार बनाई जाती है जो किसी भी समय टूट सकती है।

11. **संकट काल का मुकाबला करने में कमजोर (It is week at the time of Emergency)** :–किसी भी संकट का सामना करने के लिए एकता और शक्ति की जरूरत होती है। संकट काल के समय निर्णय शीघ्र लेने होते हैं और इन्हें दृढ़ता पूर्वक लागू करना होता है परंतु प्रजातंत्र में निर्णय शीघ्र नहीं लिए जाते और ना ही दृढ़ता पूर्वक लागू किए जाते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रजातंत्र के लाभ भी हैं और दोष भी हैं। परंतु दोषों के होते हुए भी इस प्रणाली को आजकल सर्वोत्तम माना जाता है। यही एक शासन प्रणाली है। जिसमें लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता राजनीतिक अधिकार समानता शासन की आलोचना करने और उसे प्रभावित करने का अवसर तथा अपने जीवन का विकास करने का अवसर सबसे अधिक मिलता है।मैजिनी (Mazzinee) का कथन है कि प्रजातंत्र में सबसे अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ व्यक्तियों के नेतृत्व में सर्वसाधारण की प्रकृति सर्वसाधारण के द्वारा होती हैं। (The progress of all through all under the leadership the best and wisest.) लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) चुनौती देते हैं कि प्रजातंत्र में भले ही कोई दोष है परन्तु कोई विद्वान

भी इसकी अपेक्षा अच्छी शासन प्रणाली का सुझाव नहीं दे सका है।मिल (Mill) का कहना है ''प्रजातंत्र के विरोध में दिए जाने वाले तर्क में मुझे जो सार प्रतीत हुआ है। उस पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात मैंने बिना संकोच इसके पक्ष में निर्णय किया।'' (After giving full weight to all that appeared to me well ground in the arguments against democracy. I unheritatingly decided in its favour.) इस प्रकार बर्न (Burn) का विचार है कि ''इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाएं दोषपूर्ण है। यदि कोई कार अच्छी प्रकार से नहीं चलती है बैलगाड़ी से चलना चाहे कितना रोमांचकारी क्यों ना हो मूर्खता है।'' (No one denies that existing representative assemblies are defecting but even if an automobile does not work well, it is foolish to go back into cart, however romantic.)

2.2.6 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Direct and Indirect Democracy)

प्रजातंत्र जनता का शासन है अर्थात् ऐसा शासन जिसमें शासन की शक्ति किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में ना होकर समस्त लोगों के पास हो।सैली (Seeley) का कहना है कि प्रजातंत्र शासन वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) ने कहा है ''प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। '' इस प्रजातंत्र के दो रूप हैं

(i) प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (ii) अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Direct Democracy)

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रजातंत्र का शुद्ध या वास्तविक रूप है। जब जनता स्वयं कानून बनाए राजनीति को निश्चित करें तथा सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें,उस व्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्राचीन समय में ऐसेप्रजातंत्र विशेष रूप से यूनान और रोम में विद्यमान थे परंतु आधुनिक युग में बड़े–बड़े राज्य हैं जिनके जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है और भू–भाग लंबा चौड़ा नागरिकों की संख्या भी पहले से अधिक हो गई है आज प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है।

अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र (Indirect or Representative Democracy)

आजकल जनता अपने प्रतिनिधि चुन लेती है और वह प्रतिनिधि जनता की इच्छा अनुसार कानून बनाते जा शासन करते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है भारत में यह प्रतिनिधि साधारणतया 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

2.2.7 प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र की संस्थाएँ (Institutions of Direct Democracy)

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की कुछ संस्थाएं अपनाई गई है। इसके लिए स्विट्जरलैंड बड़ा प्रसिद्ध है।स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। (Home of Direct Democracy) इन संस्थाओं द्वारा नागरिकों को कानून बनवाने और संसद के बनाए कानूनों को लागू होने से रोकने का अधिकार दिया जाता है। इन संस्थाओं में अंतिम शक्ति जनता के हाथों में आ जाती है। स्विट्जरलैंड के कुछ केंट नो मैन समस्त मतदाता एक स्थान पर एकत्रित होकर कानून बनाते हैं तथा सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं परंतु समस्त देशों में ऐसा होना संभव नहीं है।प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की आधुनिक संस्थाएं केवल थोड़े से देशों में मिलती है जैसे (1) प्रस्तावाधिकार (Initiative), (2) जनमत संग्रह

(Referendum), (3) प्रत्यावर्तन या वापसी (Recall) तथा (4) लोकमत संग्रह (Plebiscite)। इस का सविस्तार वर्णन नीचे दिया गया है।

प्रस्तावाधिकार (Initiative)

मतदाताओं का अपनी इच्छा के अनुसार कानून का अधिकार होता है। यदि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या किसी कानून को बनवाने की मांग करें तो संसद उस प्रार्थना के अनुसार कानून बना दे तो अच्छी बात है। यदि उस संसद उस मांग से सहमत ना हो तो वह समस्त जनता की राय लेती है और यदि मतदाता बहुमत से उस मांग का समर्थन करते तो संसद को वह कानून अवश्य ही बनाना पड़ता है।

जनमत संग्रह (Referendum)

जनमत संग्रह द्वारा संसद के बनाए गए कानून लोगों के सामने रखे जाते हैं। वह कानून तभी पास हुए समझे जाते हैं यदि मतदाताओं का बहुमत उनके पक्ष में हो अन्यथा नहीं तो वह कानून रद्द हो जाता है। इस प्रकार यदि सांसद कोई ऐसा कानून बना भी तेजी से जनता अच्छा नहीं समझती हो तो जनता उसे लागू होने से रोकती है। स्विजरलैंड में यह नियम है कि कानूनों को लागू करने से पहले जनता की राय ली जाती है।

वापसी (Recall)

इस नियम के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधि को अवधि समाप्त होने से पहले भी वापस बुलाने और दूसरा प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार द्वारा मतदाताओं की एक निश्चित संख्या अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रस्ताव रख सकती है इससे प्रतिनिधियों पूरे मतदाताओं का स्थाई प्रभाव बना रहता है और वे कभी भी उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकते। स्विजरलैंड में यह नियम लागू है।

लोकमत संग्रह (Plebscite)

कानून पर जनता की राय जानना जनमत संग्रह कहलाती है। पाकिस्तान कई वर्षों से यह मांग कर रहा है कि कश्मीर में लोकमत संग्रह करवाया जाए कि वहां के लोग भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। लोकमत संग्रह का एक अन्य रूप भी है जिसे मतसंख्या (Opinion Pool) कहते हैं ।

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की संस्थाएं देखने में बहुत अच्छी प्रतीत होती है परंतु सभी देशों में इन संस्थाओं का संचालन ठीक नहीं हो सकता। इसका सफलतापूर्वक प्रयोग से राज्यों में हो सकता है जो छोटे हो और जहां के लोग पढ़े लिखे हो।

2.2.8 प्रजातंत्र के मार्ग में बाधाएं

(Hindrances in the Path of emocracy)

वर्तमान युग प्रजातंत्र का योग है। प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना जाता है यही कारण है कि संसार के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन सभी देशों में प्रजातंत्र को एक समान सफलता प्राप्त नहीं हो सकी प्रजातंत्र के बाधाएं (Hindrances) हैं तो इसका प्रमुख कारण बनती है इस प्रकार है–

सामाजिक असमानता (Social Inequality)

सामाजिक असमानता प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता का

होना अत्यावश्यक है। यदि किसी समाज में सभी व्यक्तियों को समान नहीं समझा जाता तो वह उसमें जाति, धर्म, वंश, भाषा, वर्ण, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो सकती।

आर्थिक समानता (Economic Inequality)

सामाजिक असमानता के साथ–साथ आर्थिक असमानता भी प्रजातंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। आर्थिक समानता प्रजातंत्र की सफलता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। कोल (Cole) ने उचित ही कहा है कि ''आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है।''(Political democracy is meaningless without economic democracy.)

आर्थिक असमानता के कारण समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है –गरीब और अमीर इन दोनों और को में संघर्ष चलता रहता है।

निर्धनता (Poverty)

गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात भी नहीं सोच सकता। एक इंसान के लिए वोट का कोई महत्व नहीं होता उसके लिए वोट से अधिक महत्व रोटी का है। मेडीसन (Medison) ने उचित ही कहा है कि जिसके पास धन है उसके पास शक्ति है।

बेकारी (Unemployment)

बेकार व्यक्ति बेकार की बातें सोचता है। वह देश तथा समाज के हित की बात सोच ही नहीं सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का उच्च नैतिक चरित्र का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन बेरोजगारी के कारण नागरिकों के चरित्र का पतन हुआ है। भारत में निरंतर बढ़ रही हिंसा, अपराध,जनसंहारो व निजी सेनाओं के गठन का मुख्य कारण बेरोजगारी है।

एक दल का प्रभाव (Dominance of One Party)

एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता की इच्छाओं के दमन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि सत्ताधारी दल अनुशासन की सभी सीमाओं को लाने का प्रयास करता है। ऐसी व्यवस्था में सत्ताधारी दल का व्यवहार तानाशाही पूर्ण हो जाता है। जिसे प्रजातन्त्र में बिल्कुल पसंद नहीं किया जा सकता। एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजातंत्र का स्वभाव व्यवस्था में प्रजातंत्र का विकास संभव नहीं हो पाता।

निरक्षरता (Illteracy)

शिक्षा एक अच्छे जीवन का आधार है शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन अंधकार में और पशु तुला हो जाता है। व्यापक स्तर पर निर्भरता के कारण ही भारत में जातिवाद, भाषा, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता आदि को बढ़ावा मिलता है जो भारतीय प्रजातंत्र के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है।

बहुदलीय प्रणाली (Multiparty System)

प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है। प्रजातंत्र और राजनीतिक दलों का परस्पर इतना गणित संबंध है कि एक के अभाव में दूसरा मात्र पर आए हैं। राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र शासन चलाना संभव नहीं होता।लार्ड ब्राइस (Lord Bryce)का कहना है कि इसके बिना कोई देश कार्य नहीं कर सकता कोई भी आज तक नहीं दिखा सका कि लोकतंत्र सरकारें इसके बिना कैसे कार्य कर सकती है। लेकिन यह बात निश्चित है कि राजनीतिक दलों की अधिक संख्या प्रणाली के कारण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक अस्थिरता देखी जा सकती है।

संगठित विरोधी दल का अभाव (Lack of Organised Opposition)

संगठित विरोधी दल भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। वास्तव में जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठित विरोधी दल नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र की सफलता खतरे में रहती है। विरोधी दल सरकार की नीतियों पर पैनी नजर रखती है और सरकार की अनुचित नीतियों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटता। विपक्षी दल सरकार को निंरकुश होने से बचाता है। इतना ही नहीं सरकार गिरने की स्थिति में विरोधी दल सरकार बनाने में तत्पर रहता है। इसी कारण विरोधी दल को वैकल्पिक सरकार भी कहा जाता है जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहां पर सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता।

जनता के साथ कम संपर्क (Less contact with masses)

प्रजातंत्र की सफलता के लिए विधायकों तथा जनता का परस्पर संपर्क होना अति आवश्यक है। परंतु प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रायः विधायकों का जनता से संपर्क नहीं रहता। अधिकतर विधायक चुनाव के समय में ही दिखाई पड़ते हैं और चुनाव के बाद तो वह लुप्त हो जाते हैं। जनता से कम संपर्क प्रजातंत्र के मार्ग में एक रूकावट बन जाता है।भारतीय प्रजातंत्र का एक दोष यह है कि विधायक जनता के साथ संपर्क बनाए नहीं रखते।

प्रादेशिक दल (Regional Parties)

प्रजातंत्र की सफलता के मार्ग में आने वाली एक प्रमुख बाधा प्रादेशिक दलों का होना भी है। यद्यपि क्षेत्रीय दलों का होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन क्षेत्रीय दलों के क्षेत्र विशेष से प्रेम करने की संकीर्ण प्रवृत्ति होती है। ये दल राष्ट्रीय महत्व के विषय में नहीं सोचते। प्रादेशिक दलों के राष्ट्रीय दलों का महत्व कम हो जाता है।

विधायकों में अनुशासन की कमी (Lack of Discipline Among the Legislators)

प्रजातंत्र में अनुशासनात्मक एक आदर्श माना जाता है। लेकिन अनुशासन की कमी के कारण प्रजातंत्र एक भीड़ तंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। अनुशासनहीन विधायक प्रजातंत्र शासन को अपनी मर्जी से प्रयोग करते हैं। विधायकों की अनुशासनहीनता और उद्दंडता का अनुसरण जनता भी करने लगती है। भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या विधायकों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता है। विधानसभा में और संसद में हाथापाई तथा मारपीट की वारदातें बढ़ती जा रही है।

दलबदल (Defection)

दलबदल भी प्रजातंत्र में बहुत हानिकारक है क्योंकि इससे राजनीतिक स्थिरता आती है और छोटे–छोटे दलों की स्थापना होती है। इससे जनता का अपने प्रतिनिधियों और नेताओं पर से विश्वास उठ जाता है। जनता को यह शंका रहती है कि उन्होंने जिस दल के विशेष नेता को सुना है कहीं वह दल बदल कर अन्य दल में शामिल न हो जाए।

स्वतंत्र निष्पक्ष और ईमानदार प्रेस की कमी (Lack of Free, Impartial and Honest Press)

प्रजातंत्र में प्रेस (Press) की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और प्रेस को प्रजातंत्र का पहरेदार कहा जाता है। प्रेस द्वारा ही जनता को सरकार की नीतियों और समस्याओं का पता चलता है। परंतु प्रेस का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना तथा ईमानदार होना आवश्यक है। भारत में प्रेस पूरी तरह स्वतंत्र तथा ईमानदार नहीं है। प्रेस लोगों को देश की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति की सूचना नहीं देती, जिसके कारण स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो पाता।

जातिवाद की राजनीति (Politics of Castism)

जातिवाद एक ऐसा तत्व है जो भावनात्मक उन्माद भड़का सकता है।जाति के आधार पर प्रत्याशियों (Candidates) का चयन, जाति के आधार पर वोट मांगना,जाति के आधार पर राजनीतिक दल बनाना, जाति विशेष को अपना वोट बैंक समझना इत्यादि ये नकारात्मक तत्वों प्रजातंत्र के मार्ग में बाधाएं बनते हैं।

चुनाव बहुत खर्चीली है (Elections are Very Costly)

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव लड़ना सरल कार्य नहीं है। चुनाव अत्यंत खर्चीले हैं। चुनाव लड़ने के लिए अपार धन की आवश्यकता होती है। एक निर्धन व्यक्ति लड़ने की बात भी नहीं सोच सकता। केवल धनी व्यक्ति ही चुनाव लड़ने का साहस करते हैं। यही कारण है कि शासन धनी व्यक्तियों में चली जाती है। प्रजातंत्र की सफलता के खर्चीली चुनाव बहुत बड़ी बाधा है।

दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली (Defective Electrol System)

प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन प्रणाली दोष रहित होनी चाहिए। निर्वाचन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि चुनाव जीतने वाले व्यक्ति को जनता का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। लेकिन दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली में उम्मीदवार कई बार थोड़े से मत प्राप्त करके भी विजयी घोषित कर दिए जाते हैं। प्रायः एक सदस्यीय निर्वाचन अब क्षेत्र में जहां अनेक सदस्य चुनाव लड़ते हैं, वहीं सदस्य विजयी घोषित किया जाता है जो अपने प्रतिद्वंदी में सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है। ऐसी व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि मतदाताओं का अधिकांश भाग ऐसा रह जाता है जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जाता।

उदार प्रजातंत्र अथवा प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक अवस्थाएं (Conditions Necessary for the Success of Liberal Democracy or Democracy)

उद्धार प्रजातंत्र अथवा प्रजातंत्र शासन सबसे अच्छी विधि मानी गई है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित अवस्थाएं (Conditions) आवश्यक है।

सचेत नागरिकता (Enlightened Citizenship)

लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) ने लगातार सचेतता को स्वतंत्रता का मूल्य बताया है। (Constant vigilance is the prices of liberty)। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां नागरिक शासक भी है और शासित भी। सचेत नागरिकता नागरिकों को वास्तविक अर्थों में शिक्षित और शासक बना सकती है। नागरिक के कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। सचेत नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपने अधिकारों और देश की समस्याओं के प्रति सचेत रहें और अपनी बुद्धि द्वारा देश की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण सहयोग दें।

शिक्षित जनता (Educated Citizens)

जे०एस० मिल (J.S. Mill) ने कहा है कि ''सार्वभौमिक मताधिकार होने से पूर्व सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।''(Universal education should precede universal franchise.) प्रजातंत्र की सफलता नागरिकों की उचित शिक्षा पर निर्भर है। अशिक्षित व्यक्ति के लिए अपने अधिकारों उचित रूप से समझना और कर्तव्य का उचित रूप से पालन करना कठिन है।

आर्थिक समानता (Economic Equality)

कोल (Cole) ने कहा है ''आर्थिक प्रजातंत्र के बिना राजनीति अर्थहीन है।'' (Political democracy is meaningless without economic democracy.)। इस कथन में बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि जिस राज्य में आर्थिक समानता अधिक होती है। वहां धनी लोगों के हाथ में ही राजनीतिक शक्ति आ जाती है। जिस समाज में निर्धन लोगों में अधिक मतभेद है वहां प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकती।

सामाजिक समानता (Social Equality)

समाज में जाति रंग धर्म के आधार पर भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि समाज में ऐसा भेदभाव हो तो सामाजिक समानता के लिए यह आवश्यक है कि सब व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सब अधिकार प्राप्त हो और किसी भी व्यक्ति या श्रेणी को किसी प्रकार के विशेष अधिकारियों सुविधाएं न प्राप्त हो।

स्थानीय स्वशासन (Local Self Government)

लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) ''प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन को सर्वोत्तम स्कूल और गारंटी बताता है।'' (Local self-government is the best school and best guarantee for the success of democracy.) प्रजातंत्र की सफलता स्थानीय सरकारों पर बहुत निर्भर है। वास्तव में स्थानीय सरकारें नागरिकों को प्रजातंत्र की प्रारंभिक शिक्षा देती है। डी०टाक्विल (De-Tocquelville) के शब्दों में ''एक राष्ट्र यद्यपि स्वतंत्र सरकार की प्रणाली स्थापित करने परंतु स्थानीय संस्थाओं के बिना इसमें स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती।'' (A nation may establish system of free government but without municipal institution it can not have spirit of liberty.)

लोगों का उच्च नैतिक स्तर (High Moral Standard)

हर्नशा (Hearnshow) के कथनानुसार ''प्रजातंत्रीय सिद्धांत स्वभाव से अवश्य धार्मिक है। (The democractic principle is essentially a religious in character.) प्रजातंत्र की सफलता के लिए नैतिक चरित्र का ऊंचा होना आवश्यक है। प्रजातंत्रीय शासन सफलतापूर्वक तभी चल सकता है यदि नागरिक निःस्वार्थ, ईमानदार और भ्रष्टाचार रहित होंगे।

स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका (Independent and Impartial Judiciary)

लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) का कथन है ''किसी देश की सरकार की उत्तम तथा न्यायपालिका की योग्यता से अच्छी कोई अन्य खुश होती नहीं है।''(There is no better test of the excellence of the government than the efficiency of its judicial system.) ब्राईस के इस कथन में पूर्ण सत्यता है। लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रजातंत्र कादिल और आत्मा होते हैं, परंतु इन अधिकारों की योग्य सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। प्रजातंत्र में न्यायपालिका का केवल स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है अपितु इसका निष्पक्ष होना अधिकांश आवश्यक है।

लिखित संविधान (Written Constitution)

सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) के शब्दों में ''अच्छा सविधान हलचल वाले प्रजातंत्र पर एक वाधा है और इसके साथ इसको तालाब के पानी की तरह शांत किया जा सकता है।'' (With a wise constitution the turbulance of democracy may be restricted and made as calm as water in a reservoir.) कुछ विचारकों का यह मत है कि लिखित संविधान प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है क्योंकि लिखित संविधान में ही लोगों के मौलिक अधिकार और उनकी सुरक्षा है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए लिखित संविधान का अस्तित्व आवश्यक है।

योग्य नेताओं का चुनाव (Election of able leaders)

''प्रजातंत्र में नेता ऐसे होने चाहिए तो दर्द निर्णय ले सके और वास्तविक योग्यता,असाधारण कार्य क्षमता वाले और महान चरित्रवान हो।'' (Leaders in a democracy should be men of sound, judgement, genuine ability, outstanding initiative and unimpeachable character.)

स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस (Free and Honest Press)

प्रेस को प्रजातंत्र का रक्षक माना गया है। प्रजातंत्र जनमत पर आधारित है। जनमत को बनाने और व्यक्त करने के लिए समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए ईमानदार और निष्पक्ष प्रेस का होना प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है।

अच्छे संगठित राजनीतिक दल (Well organised Political Parties)

राजनीतिक दलों के बिना सफल प्रजातंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती।हालांकि राजनीतिक दलों में अनेक दोष भी हैं। राजनीतिक दल जाति धर्म भाषा प्रांत आदि पर आधारित नहीं होना चाहिए जहां तक हो सके वह उदल प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए बल्कि दो–दलीय प्रणाली की प्रथा अपनानी चाहिए।

निष्कर्ष(Conclusion)

हम लॉवेल (Lowell) के इस कथन से सहमत हैं कि यदि कोई राज्य ये सब ऊपरलिखित कार्य करता है तो प्रचंड वायु के झोंके भी उसकी नींव को हिला नहीं सकेंगे। दूसरे स्थानों पर यद्यपि तूफान धराव मचाते रहे, परंतु वह बिना हिले जुले खड़ा रह सकेगा।

अब हम लोकतंत्र के कुछ प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे यह सिद्धांत है।

2.2.9 लोकतंत्र का प्रतिष्ठित अथवा उदारवादी सिद्धांत (Classical or Liberal Theory of Democracy)

उदारवाद (Liberalism) एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधारा है। इस विचारधारा ने जिन प्रजातंत्रीय सिद्धांतों पर बल दिया है उन्हें सामूहिक रूप में उदारवादी प्रजातंत्र (Liberal Democracy) कहा जाता है। इस प्रकार के प्रजातंत्र को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र (Indirect Democracy) और प्रतिनिधि–प्रजातंत्र (Representative Democracy) की संज्ञा भी दी जाती है। प्रजातंत्र के इस रूप को प्रजातंत्र का उदारवादी सिद्धांत (Liberal Theory of Democracy) कहा जाता है। इस सिद्धांत को प्रजातंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत (Classical Theory of Democracy) भी कहा जाता है।

उदारवाद ने एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक वातावरण के निर्माण पर बल दिया जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा सुरक्षित रह सके। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक काल उदारवाद के प्रचार–प्रसार का काल था। जब में सिर्फ आर्थिक व राजनीतिक संस्थाओं में भी महान परिवर्तन हुआ। जान लॉक (John Locke) ने धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप नीतिऔर सामाजिक क्षेत्र में समानता व व्यक्तिगत अधिकारों पर बल दिया था। बाद में बैंथम (Bentham) और जे०एस० मिल (J.S. Mill) ने भी राज्य के दबाव रूढ़िवाद का विरोध किया। इन सभी ने यह बता कि सब मनुष्य समान है और उनके अधिकार भी बराबर है। इन अधिकारों में राजनीतिक स्वतंत्रता मताधिकार और संपत्ति की सुरक्षा मुख्य हैं और हर राज्य का कर्तव्य

है कि व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा करे। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद 'संवैधानिक लोकतंत्र' (Constitutional Democracy) का समर्थक हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत विभिन्न तरह की स्वतंत्रता है। संभव है सभी नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने सरकार का गठन करने उसकी आलोचना करने और यहां तक की आवश्यकता हो जाने पर वर्तमान शासक को को हटाने उनके स्थान पर नए शासकों की नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उदारवाद का सिद्धांत 'लौकिक प्रभुसत्ता' (Popular sovereignty) की ओर ले जाता है।

लक्षण (Characteristics)

एलेन बॉल (Alan Ball)ने उदार लोकतंत्र की सरकारों के निम्नलिखित लक्षण गिनाए हैंः–

1. **अधिक राजनीतिक दल (Multi-Party System)** :–एक से राजनीतिक दल होते हैं यह सभी दल राजनीतिक सत्ता के लिए खुलकर प्रतियोगिता कर सकते हैं।
2. **प्रतियोगिता (Open Competition)** :– ''सत्ता के लिए प्रतियोगिता खुलकर होती है।''
3. **बालिग मताधिकार (Adult Franchise)** :– बालिग मताधिकार पर आधारित चुनाव समय–समय पर होते रहते हैं
4. **दबाव गुट (Pressure Group)** :–सरकारी निर्णय को प्रभावित करने के लिए दबाव गुटों को कार्य करने का अवसर मिलता है।
5. **स्वतंत्रता (Freedoe of Speech and Expression)** :–अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी न बनाए जाने की स्वतंत्रता सरकार द्वारा मान्य होती है।
6. **न्यायपालिका स्वाधीन (Independent Judiciary)** :–न्यायपालिका स्वाधीन तथा निष्पक्ष होती है।
7. **एकाधिकार (No Monopoly of Government)** :–टेलीविजन रेडियो और अखबार जैसे माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होता।

2.2.10 उदार लोकतंत्र के गुण (Mertis of Liberal Democracy)

जे०एस० मिल (J.S. Mill), जैफरसन (Jefferson) और लार्ड ब्राइस (Lord Bryce) ने लोकतन्त्रीय शासन के निम्नलिखित गुण बतलाये हैंः–

जनता स्वयं अपने भाग्य विधाता (People are Masters of their Destiny)

लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन (Government of the people, by the people, for the people) देखने को मिलता है। कानूनों का निर्माण जनता के प्रतिनिधिकरते हैं तथा उन्हें लागू करने वाली संस्था अर्थात कार्यपालिका (Executive) भी स्वेच्छाचारी नहीं बन सकती। न्यायपालिका स्वाधीन (Independent) तथा निष्पक्ष होती है।

अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा (Protection of Rights and Liberty)

एक लोकतांत्रिक राज्य लोगों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता। लोकतंत्र में नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं। जैसे –धार्मिक स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मत देने का

अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार।

शासन का आधार विवेक (Government Based on Reason or Logic)

उदार लोकतन्त्र में सत्ता के ऊपर जनप्रतिनिधियों का नियन्त्रण होता है। लोकतंत्र की मान्यता यह है कि सभी निर्णय उचित वाद विवाद के द्वारा लिए जाए, नकि हिंसा व शक्ति प्रशासन द्वारा। लोकतंत्र में ''राजसत्ता'' के लिए खुलकर प्रतियोगिता होती है। यदि कोई पार्टी ठीक तरह से शासन ना करें तो जनता उस पार्टी को ठुकरा सकती है। लोकतंत्र में सरकारी शांतिपूर्ण ढंग से बदलती रहती है। उदार लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन मत (Ballet) द्वारा होता है, न कि बंदूक की गोली (Bullet) द्वारा। (In liberal Democracy Government is Changed by Ballet not Bullet.)

राजनीतिक शिक्षण (Educational Value)

लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। एक लोकतंत्र इस देश के नागरिकों को विस्तार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उन्हें विभिन्न दलों की नीतियों और कार्यक्रमों को जानने का अवसर मिलता है और वे जनमत के निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में जनता का राजनीतिक शिक्षण खूब होता है। इससे उनके चरित्र का भी विकास होता है ए० अप्पादुरैई (A. Appadorai) ने कहा है ''लोकतंत्र में शासन की पूरी जिम्मेवारी नागरिकों पर पड़ती है। इससे उन्हें बुद्धिमता और आत्मनिर्भरता के गुण आते हैं तथा नए–नए प्रयोगों की प्रवृत्ति का उदय होता है।'' (Democracy encourages the intelligence, self reliance, initiative and social sense of freedom by placing the ultimate responsibility for governance on the citizens themselves.)

2.2.11 उदार लोकतंत्र के दोष (Demerits of Liberal Democracy)

उदार लोकतंत्र की निम्न आधारों पर आलोचना की गई है:–

1. **अयोग्यता (Incapability)** :–लोकतंत्र में अयोग्य की पूजा होती है। क्योंकि सर्वसाधारण इस योग्य नहीं होता कि वह शासन का कार्यभार संभाल सके।

2. **दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली (Defective Electoral System)** :– उदार लोकतंत्र वास्तव में जनता का शासन है ही नहीं, क्योंकि अधिकांश देशों (भारत, ब्रिटेन) में जो निर्वाचन प्रणाली प्रचलित है वह दोषपूर्ण हैं। उसमें इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि जो उम्मीदवार चुना गया है वह वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करता है।

3. **धन हावी (Wealth Reigns)** :–राजनीतिक शक्ति पर धन हावी हो गया है।

4. **सरकारे बदलती रहती हैं (Unstable Governments)** :– आए दिन सरकारे बदलती रहती है और जब तक चुनाव होते रहते हैं। अस्थिर सरकारों की वजह से कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि नेताओं का अधिकांश समय गुटबंदी ने ही दिखता है।

5. **समय और धन की बर्बादी(Wastage of time and Money)** :–संसद में छोटे–छोटे विषयों को लेकर काफी समय तक अनावश्यक वाद–विवाद चलता रहता है। इससे समय और धन की बर्बादी होती है।

6. **बहुत अधिक वेतन और भत्ते (Highly Salary and Allowances for M.P.s and M.L.A.s)**:–विधानमंडल और मंत्रिमंडल के सदस्यों को बहुत अधिक वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।

2.2.12 उधार लोकतंत्र की सफलता
(Success of Liberal Democracy)

लोकतंत्र एक श्रेष्ठ प्रणाली है पर उसके मार्ग में कई बाधाएं हैं जैसेः–

(1) अशिक्षा (Illiteracy)

(2) उच्च चरित्र वाले नेताओं का अभाव (Lack of leaders with High moral character.)

(3) सामाजिक आर्थिक आधार पर गठित स्वस्थ राजनीतिक दलों का नया होना। (Lack of good organised political Parties.)

(4) सामाजिक असमानताएँ अर्थात् व्यक्ति और व्यक्ति के बीच भेदभाव एवं अनुसूचित जातियों व महिलाओं पर होने वाले अत्याचार (Cruelty on weaker sections and women.)

(5) गरीबी और बेकारी (Poverty and unemployment) आदि।

उदार लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित बातों का होना बहुत आवश्यक है (Condition Necessary for Success of Liberal Democracy) :–

सहमति (Agreement)

लोकतंत्र की सफलता के लिए है जरूरी है कि सभी राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में आस्था होनी चाहिए। दलों के इस बात पर सहमति होनी चाहिए कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए तथा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले।

नागरिकों का उच्च चरित्र (High Moral Character)

लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि जनता में उदारता और सहनशीलता की भावना हो। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि लोग वोट देने के अधिकार का ईमानदारी से प्रयोग करें। उन्हें पैसे के लोग तथा जातीय और धार्मिक भावना से ऊपर उठना चाहिए। लोगों में इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि वह सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध कर सकें।

नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberty)

यह जरूरी है कि न्यायपालिका स्वाधीन हो तथा लोगों को मनमाने ढंग से बंन्दी न बनाया जाए। उन्हें विचार भाषण और धर्म की आजादी मिलनी चाहिए। रेडियो समाचार पत्र और टेलीविजन आदि जनसंपर्क माध्यमों पर सरकार का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

राजनीतिक दल (Political Parties)

लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों पर ही निर्भर है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि दलों की संख्या अधिक ना होने पाए ब्रिटेन और अमेरिका अपने द्विदलीय पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश दल पद्धति की एक और विशेषता है – दलीय अनुशासन (Party Dicipline) भारत में राजनीतिक दलों का स्वरूप आज भी बहुत अस्पष्ट है।

शक्तिशाली विरोधी दल (Strong Opposition)

लोकतंत्र में विरोधी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव में विजयी दल सरकार का निर्माण करता है तथा विरोधी दल 'लोकतंत्र के पहरी' (Watchdog of Democracy) की भूमिका अदा करता है। वह शासन दल को निरंकुश

बनने से रोकता है। विरोधी दल का यह कर्तव्य है वह गैर जिम्मेदारी के कार्यों से बचें।

सामाजिक आर्थिक सुरक्षा (Social Economic Security)

लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक न्याय (Social Justice) की स्थापना आवश्यक है। यह जरूरी है कि जाति, धर्म, रंग, या लिंग भेद के आधार पर व्यक्ति–व्यक्ति के बीच ऊंच–नीच की दीवारेंन हों। आर्थिक सुरक्षा का अर्थ यह है कि बीमारी बेरोजगारी या विकलांगता के कारण जिन लोगों की सहायता की आवश्यकता हो, उनके लिए राज्य की ओर से इस तरह की सहायता की व्यवस्था की जाए।

2.2.13 लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत

(Pluralist Theory of Democracy)

फिग्गीस (Figgis) मेटलैंड (Maitland) जी० डी० एच० कोल (G.D.H. Cole), बार्कर (Barker) तथा लास्की (Laski) आदि विद्वानों का यह मत है कि अन्य संगठन चर्च, विश्वविद्यालय, परिवार तथा अन्य आर्थिक संगठनों जैसे अनेक समुदाय हैं जिनका महत्व राज्य से कम नहीं है और वे भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैन्टले (Bentley) डहल (Dahl), वेबर (Weber) तथा मेडिसन (Madison) आदि ने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया है। उनका कहना है कि उदार लोकतंत्र राज्यों में मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, उपभोक्ता तथा पेशेवर व्यक्तियों (Professionals) के अपने संघ होते हैं, जो अपने सदस्यों को अनेक उचित अधिकार दिलाने के लिए काम करते रहते हैं।प्रैस्थस (Presthus) ने लिखा है ''बहुलवादी लोकतंत्र एक ऐसी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राजसत्ता अनेक निजी समूह संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बंटी होती है। (Pluralist democracy is a socio political system in which the power of the state is shared with a large number of private groups, interested organisation and individuals represented by such organisations.) साधारण शब्दों में, बहुलवादी लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें नीतियों व कानूनों का निर्माण पारस्परिक वार्ता (Discussion and Debate) तथा विभिन्न समुदायों के बीच विचारों के आदान–प्रदान द्वारा होता है। इसकी मूल धारणा यह है कि शक्ति के उपयोग में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए और सभी संगठित समूह का नीतिमें भाग होना चाहिए।

2.2.14 बहुलवादी लोकतन्त्र की विशेषताएँ

(Characterisitcs of Pluralist Democracy)

बहुलवादी लोकतंत्र की विशेषताएं बहुलवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं–

प्रभाव के विभिन्न केंद्र (Different Centres of Power)

बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थकों के द्वारा इस व्यवस्था को ''सत्ता तथा प्रभाव के विभिन्न गलियारों'' (Different corridors of Power and influence) के रूप में परिभाषित किया गया है। विभिन्न गलियारों से अभिप्राय हैं :– संसद (Parliament), कार्यपालिका (Executive), विधान पालिका (Legistature), राजनीतिक दल (Political Parties), संचार माध्यम (Communications) तथा अनेक धार्मिक (Religious) सामाजिक (Social) व आर्थिक समुदायों (EconomicAssociation) को कई बार इन संगठनों को अपनी मांगे मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यता है कि सच्चा लोकतंत्र वही है जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समुदायों में विभाजित हो। दूसरे शब्दों में शासन शक्ति के उपयोग में राज्य के साथ इन समुदायों का भी भाग होना चाहिए।

संगठनों की अनिवार्यता (Associations are Compulsory)

बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थकों का कहना है कि यदि व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनकी आवाज का कोई मूल्य हो तो, उन्हें अपने आपको समुदायों में संगठित करना होगा। अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है और एक ही रखने वाले लोग सुविधाओं में संगठित में हो जाते हैं तो वह शक्ति संपन्न बन जाते हैं। हंटर (Hunter) लिखते हैं,''व्यक्तियों को स्वयं को प्रभावकारी बनाने के लिए समुदायों, गुटों या अन्य संस्था के रूप में संगठित होना पड़ेगा।

संतुलन (Balance)

बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थकों का कहना है कि सभी समुदाय राजनीतिक व्यवस्था के अंग है और उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन रही है वह इस बात की सर्वोत्तम गारंटी है। कि राजस्व इच्छा चारी नहीं बनेगा बहुलवादी लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं इससे एक प्रकार का संतुलन हो जाता है।

दूरी कम की जाए (The Distance should be Reduced)

बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थक इस बात से सहमत है कि शासन तथा जनता के बीच की दूरी कम की जाए। प्रेस्थस(Presthus) ने लिखा है कि,''ऐसे समूह अपने नेताओं के माध्यम से शक्ति के सभी संगठित स्वरूपों तथा व्यक्तियों के बीच मध्यस्थता करते हैं। इस प्रकार शासन को जनता के निकट रखा जा सकता है और ऐसे समूह के हितों व कौशल निर्णय लिए जाने में सहायता मिलती है।'' (Through their leaders such groups mediate between indidividuals and all organised forms of power. In this way, government is kept close to the people and decisions benefit from the still and interest which such groups provide.)

राज्य का स्वरूप (Nature of the State)

बहुलवादी एक निष्पक्ष राज्य का समर्थन करते हैं। बहुलवादी लोकतंत्र ऐसी सरकार की कल्पना करता है जो निष्पक्ष रूप से एक निर्णायक की भांति विभिन्न समूह के टकराव पर नियंत्रण रखें।

मूल्यांकन
(Evaluation)

प्रजातांत्रिक सिद्धांत में कुछ त्रुटियां हैं, जो इस प्रकार है :–

प्रभावशाली समूह का लोकतंत्र (Democracy of Powerful Association)

बहुलवादी लोकतंत्र समुदायों (समूहों) पर आधारित है। यहां शक्ति का कुछ इस प्रकार प्रयोग हो सकता है कि कोई समूह इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह राजनीति की सारी कार्य–सूची का निर्धारण करने लगे। ऐसी अवस्था में बहुलवादी लोकतंत्र प्रभावशाली समूहों का लोकतंत्र बनकर रह जाएगा।

धन की शक्ति (Money Power)

समाज में कमजोर वर्गों के लिए अपनी मांगे मनमाना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि केवल वही संघ अपनी बात मनवा सकते हैं, जिनके पास धन की शक्ति है। व्यवहार में एक और राज्य की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर समाज में प्रभावशाली व्यवसाय के समूहों दबदबा बढ़ रहा है। जैसे–जैसे राजा अपनी शक्तियाँ ग्रहण कर रहा है, वह नौकरशाह अधिक और लोकतांत्रिक कम बनता जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से सशक्त समूह राजा पर इस प्रकार

हावी हो जाते हैं कि राज्य और उसका साधन मात्र बनकर रह जाता है।

तोड़ने फोड़ने (Destruction)

ऐसे भी समुदाय होते हैं जो अपने कार्यों से सरकारी प्रक्रिया को अपनाने के लिए तोड़फोड़ करने में लगे रहते हैं।

एक ऐसी व्यवस्था जहां स्पर्धा (Competition) के माध्यम से शक्ति पर नियंत्रण किया जाता है। इसमें विजय होने वाला समूह अपना अधिकार बनाए रखने का भी प्रयास करता है। इस प्रकार एक छोट–से समूह के हाथों में शक्ति केन्द्रिय रहती है, जिससे समस्त राजनीति अल्पतांत्रिक बनकर रह जाती है।

2.2.15 लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग वादी सिद्धांत (Elitist Theory of Democracy)

उदारवादी लोकतंत्र (Liberal Democracy) के समर्थकों के अनुसार, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए, जनता के तथा जनता द्वारा (By the people, for the people and of the people) शासन है। जिसमें देश के शासन के में सभी लोग भाग लेते हैं। ब्राईस (Bryce) ने लिखा है लोकतंत्र है वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन संस्था किसी विशेष वर्ग के हाथों में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लोगों में निहित होती है। सीले (Seeley) के अनुसार लोकतंत्र व शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। नागरिक अनिश्चितकाल के लिए प्रतिनिधियों (Representatives) का चुनाव करते हैं। जो उस काल में शासन करते हैं।

20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इटली के दो प्रसिद्ध विद्वानों – विल्फ्रेडो पेरेशे (Vilfredo Pareto) तथा जी० मोस्का (G. Mosca) ने लोकतंत्र की विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि प्रत्येक समाज में शासन की शक्ति कुछ 'विशिष्ट व्यक्तियों' अथवा एक 'विशिष्ट वर्ग'(Elite) के हाथों में केंद्रीय होती है। बाद में कई अन्य विद्वानोंरार्बट भिशेल्श (Robert Michals), बर्नहम (Burnham), लास्वैल (Lasswell) तथा सी० राईट मिल्य(C. Wright Mills) द्वारा भी इस विचारधारा का समर्थन किया गया है।

''विशिष्ट वर्ग का अर्थ (Meaning of Elite) साधारणतः विशिष्ट वर्ग (Elite) का अर्थ है आबादी का एक चुनिंदा अर्थात् विशिष्ट भाग (The chosen element in the population) इस प्रकार ''श्रेष्ठजन अथवा विशिष्ट वर्ग उन्हें कहेंगे जो अल्प संख्या (Minority) में होते हैं तथा अपने किसी खास उत्कृष्टता के कारण समाज के शेष वर्गों से एकदम अलग और उनके ऊपर दिखाई देते हैं। इस उत्कृष्टता का आधार धन–दौलत (Money or Wealth) भी हो सकती है अथवा सैनिक (Military) अथवा असैनिक (Civilian or non-military)ऊँचा ओहदा (Status or Position) भी चर्च (Church) अथवा धर्म विषयक(Related & Religion) अधिकार, नेतागिरी (Leadership) का गुण या अन्य कोई विशिष्टता कुछ व्यक्तियों को समाज के आम लोगों से एकदम पृथक–सा कर देती है। ये वे व्यक्ति हैं जो अपन–अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थानों (Top Positions) पर स्थित है और इसलिए वे राजनीतिक गतिविधियों (Activities) का भी संचालन करने लगे हैं। राजसत्ता पर अधिकार जमा लेने के कारण उन्हें कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि शासक वर्ग (Ruling Class) सशक्त श्रेष्ठजन (Power Elite) तथा उच्च वर्ग (Superior Class) आदि।

2.2.16 विशिष्टवर्गवादी सिद्धांत का विकास (Development of Elitist Theory)

विल्फ्रैडो परेटो (Vilfredo Pareto) ने विशिष्ट वर्ग को दो श्रेणियों में रखा है :–

1. **'सामाजिक श्रेष्ठजन' (Social Elite)** :–'सामाजिक श्रेष्ठजन' में उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया

है जो सफल व्यापारी, बड़े औद्योगिक घरानों के मालिक, उच्च कोटि के विद्वान, और अन्य किसी प्रकार के व्यक्ति। ये लोग वास्तव में शासन नहीं करते, पर मस्तिष्क और श्रेष्ठता के कारण समाज में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। शासकगण उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकते।

2. **अधिकारी श्रेष्ठजन (Governing Elite)** :–'अधिवासी श्रेष्ठजन' के अंतर्गत वे सभी राजनेता, उच्च प्रशासनिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी शामिल हैं जो वास्तव में शासन तंत्र का संचालन करते हैं।

अधिशासी अभिजन वर्ग के भी दो प्रकार हैं–

(a) 'शेर के गुण' (Qualities of a Lion) वे जो 'शेर के गुण' रखते हैं और चालाकी की बजाय 'बल'(Power) द्वारा शासन करते हैं तथा

(b) 'लोमड़ी की भांति' (Qualities of a Fox) वे जो'लोमड़ी' (Fox) की भांती छल–कपट में कुशल होते हैं और अवसरों के अनुसार अपने को डाल सकते हैं।

जी० मोस्का (G. Mosca) ने हर समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है :–

1 शासक वर्ग (Class that Rules):–शासक वर्ग एक छोटा सा वर्क होता है पर ये व्यक्ति पूर्णतया संगठित (Organised) होते हैं। जी० मोस्का (G.Mosca) के शब्दों में ''...शासक वर्ग सदैव एक छोटा सा वर्ग होता है, पर यही वर्ग सभी राजनीतिक क्रियाओं का संपादन करता है और राजसत्ता पर एकाधिकार कायम कर लेता है।फलस्वरूप यही वर्ग सारी सुख सुविधाओं का उपयोग करता है।'' (".....a class that rules, always the less numerous, performs all political functions monopolizes power and enjoys the adventages that power brings ....")

2 शोषित वर्ग (Cass that is rurled) बहुसंख्या (Majority)'शासित वर्ग' (Class that is ruled) के अंतर्गत आती है। बहुसंख्यक होते हुए भी ये लोग एक 'असंगठित भीड़' (Unorganized Group) के समान है और इसलिए राजसत्ता में इनकी कोई भागीदारी नहीं होती। जी० मोस्का (G. Mosca) के अनुसार ''... वे जिन पर शासन किया जाता है। 'शासित वर्ग' यद्यपि संख्या में बहुत बड़ा होता है पर उनकी नियति यह है कि उन पर शासन किया जाए।'' ("The domination of an organised minority over the unorganised majority is invitable.")

रॉबर्ट मिशेल्स (Robert Michels) ने ''अल्पतंत्र कालौह नियम'' (Iron law of Oligarchy) का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार अधिकांश मनुष्य स्वभाव के 'निष्क्रिय' (Inactive or lazy) होते हैं, जो स्वयं शासन चलाने का न तो सामर्थ्य रखते हो और ना ही इच्छा की शक्ति। ऐसी स्थिति में यह बड़ा स्वाभाविक है कि नेतागण राजसत्ता पर एकाधिकार जमा लें। चाहे जो भी शासन प्रणाली हो, राजनीतिकशक्ति पर एक छोटे से वर्ग का ही अधिकार होता है। (The domination of an organised minority over the unorganised majority is inevitable.) प्रेस्थस (Presthus) का लिखा है कि ''हम विशिष्ट वर्ग को विशिष्ट नेताओं की ऐसी अल्पसंख्यक वर्ग मानते हैं जो सामाजिक कार्यों में असमान शक्ति का उपयोग करती है।'' (We conceptualise elite as minorities of specialised leaders who enjoy disproportionate amounts of power in community affairs.)

सी० राइट मिल्स (C. Wright Mills) ने कहा है कि ''शक्ति विशिष्ट वर्ग को हम शक्ति के माध्यम के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात् इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो आदेश देने वाले स्थानों पर अधिकार कर लेते हैं।''

(We define political elite in terms of means of power as those who occupy the command posts.)

लासवेल (Lasswell) के शब्दों में ''किसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति पर अधिकार रखने वाला वर्ग राजनीतिक विशिष्ट वर्ग होता है। इन शक्तिरखने वालों में नेतृत्व तथा वे सभी सामाजिक समूह शामिल होते हैं, जिनसें नेता आते हैं तथा जिनके प्रति एक निश्चित काल के अंदर नेता उत्तरदायी होते हैं। (The political elite comprises the power holders of a body polite. The power holders include the leadership and social foundations from which leaders typically come and to which accountability is maintained during a given period.)

2.2.17 'विशिष्ट वर्ग' की विशेषताएं (Characterisitcs of Elite)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर विशिष्ट वर्ग की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता हैः–

एक छोटा सा विशिष्ट वर्ग (Elite a small groups)

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में एक छोटा सा 'विशिष्ट वर्ग' होता है जो अपनी योग्यता, धन प्रतिष्ठा तथा प्रभाव के कारण सभी प्रमुख राजनीतिक पद हथिया लेता है। सामान्यतः इस वर्ग में इस प्रकार के जो लोग शामिल होते हैं जैसे उच्च प्रशासनिक तथा सैनिक अधिकारी, उद्योगपति, धर्माधिकारी, बड़े जमींदार तथा राजनीतिक नेता। यह वर्ग राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण बनाए रखता है।

राजसत्ता पर एकाधिकार (Control over Political Power)

विशिष्ट वर्ग का राजसत्ता पर एकाधिकार होता है।जे०ए० शुम्पीटर (J.A. Schumpeter) के अनुसार,''चुनावों के माध्यम से लोगों को केवल यह अवसर मिलता है कि वे कुछ विशिष्ट लोगों को हटाकर उनके स्थान पर किन्हीं दूसरे लोगों को राजसिंहासन पर बिठा दे।'' इसे विशिष्ट लोगों की संरचना का सिद्धांत (Theory of Circulation of Elites) कहते हैं।

अपना हित(Self-Interest)

लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग के पास निंरकुश शक्तियां नहीं होती। वे भावी चुनावों को ध्यान में रखकर जनभावनाओं के अनुसार ही शासन चलाने का दिखावा करते हैं। यद्यपि व्यवहार में उनमें से अधिकतर जनसाधारण के हितों की चिंता नहीं करते और अपने हित में ही कार्य करते हैं।

2.2.18 'विशिष्ट वर्ग' सिद्धांत की आलोचना (Criticism of Elitist Theory)

लोकतंत्र विरोधी (Against Democracy)

आलोचकों द्वारा लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत को लोकतंत्र का विरोधी कहा गया है। यह जनता का शासन न होकर कुछ व्यक्तियों का शासन है। जी० सारटोरी (G. Sartori) के अनुसार ''आत्मशाही जनता की कल्पना एक भ्रामक कथा है या जनता में उत्तेजना पैदा करने की कोई चाल।'' (The image of a self governing demos is either a decaptive myth or a demagogic device.) विशिष्ट वर्गवादी इस बात का दावा करते हैं कि कुछ सामर्थ्य योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों शासन देने में कोई बुराई नहीं है। आलोचकों का कहना है कि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत के समर्थक यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि विशिष्ट जनों के प्रभाव को कम कैसे किया जाए।

लासवैल (Lasswell) तथा कार्ल मेनहम (Karl Mainheim) जैसे विद्वान इस सिद्धान्त को अलोकतांत्रिक नहीं मानते। लासवैल (LAsswell) के अनुसार, यह राजनीतिक सत्य है कि देश की समस्त जनता शासन में भाग नहीं ले सकती, लासवेल (Lasswell) ने कहा है ''सरकार सदैव कुछ लोगों की होती है, परंतु यह तथ्य लोकतंत्र की धारणा को निश्चित नहीं करता। नेताओं की संरचना को लोकतंत्र का मानदंड मान लेना एक मौलिक भूल है। क्योंकि समाज थोड़े से नेताओं के नेतृत्व में काम करता हुआ भी लोकतन्त्रीय रह सकता है। मौलिक प्रश्न तो उत्तरदायित्व का है।'' इस प्रकार उत्तरदायित्व लोकतंत्र का एक आवश्यक तत्व है। इसके अतिरिक्त जनमत के दबाव से भी स्वेच्छाचारिता को रोका जा सकता है। कार्ल मेनहम (Karl Mainheim) के अनुसार है ''वास्तविक नीति का निर्धारण कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही करते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि समाज लोकतंत्रीयहै ही नहीं। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि जनता चुनाव के माध्यम से थोड़ी–थोड़ी अवधि के बाद अपनी इच्छा या आकांक्षा का परिचय दे सके। उसका यह अर्थ नहीं कि शासन कार्य पर हर समय जनता की सीधी भागीदारी हो।(The actual shaping of policy is in the hands of the Elites, but this does not mean to say that the society is not democrative for it is sufficient for democracy that the individual citizens, though prevented from taking a direct part in government all the time have at least the possibility of mabing their aspiprations felt at certain intervals.) मेनहेम (Mainheim) ने कहा है कि ''लोकतंत्र में शासित वर्ग सदा अपने नेताओं को अपदस्थ करने का कार्य कर सकता है अथवा उन्हें अधिक लोगों के हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है।

2.2.19 लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत (Marxian Theory of Democracy)

लोकतंत्र के विषय में मार्क्सवादी विचारधारा का विश्लेषण हम तीन भागों में कर सकते हैं–

1. मार्क्सवादियों द्वारा पूंजीवादी लोकतंत्र अथवा बुर्जुआ लोकतंत्र का खंडन
2. सर्वहारा वर्ग की तानाशाही अथवा समाजवादी लोकतंत्र
3. आदर्श साम्यवादी समाजः विशुद्ध लोकतंत्र

मार्क्सवादियों का कहना है कि पूंजीवादी समाज आर्थिक अन्याय पर आधारित है। सर्वहारा तंग आकर क्रांति द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का तख्त पलट देता है तथा सर्वहारा वर्ग ही तानाशाही की स्थापना करता है। इस नई व्यवस्था के द्वारा समाजवाद की स्थापना की जाती है। वर्ग भेद समाप्त किए जाते हैं और फिर अंत में एक आदर्श साम्यवादी समाज (Communist Society) की स्थापना की जाती है। जिसमें समाज के विकास के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास से होता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पूंजीवादी लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ लोकतंत्र व्यवस्था है परंतु साम्यवादी समाज में लोकतंत्र आदर्श रूप धारण कर लेता है तो उसे भी विशुद्ध प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है।

1 **मार्क्सवादी द्वारा पूंजीवादी लोकतंत्र अथवा बुर्जुआ लोकतंत्र का खंडन (Marxist Denial to Capitalist or Bourgeoise Democracy)** :अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस आदि पूंजीवादी देशों की उदार लोकतन्त्रीय व्यवस्था को मार्क्सवादी शब्दावली में बुर्जुआ लोकतंत्र (Boureoisie Democracy) का नाम दिया जाता है।मार्क्सवादियों के मतानुसार सभी पूंजीवादी देशों में समस्त आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति एक छोटे से वर्ग पूंजीपति वर्ग अथवा बुर्जुआ वर्ग के हाथों में रहती है। आर्थिक शक्ति के आधार पर यह वर्ग जनसाधारण का आर्थिक शोषण करता है और इसके द्वारा राजसत्ता का प्रयोग अपनी आर्थिक शक्ति की सुरक्षा तथा जनसाधारण के दमन और उत्पीड़न के लिए किया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक और राजनीतिक

स्वतंत्रता कल्पना मात्र रहती है। अतः प्रतिनिधि संस्थाओं के होते हुए भी पूंजीवादी देशों में लोकतंत्र जनसाधारण के हितों की रक्षा नहीं कर पाता। महान मार्क्सवादी विचारक लेनिन (Lenin) का कहना है ''पूंजीवादी देशों का लोकतंत्र अधूरा, नीच तथा झूठा है वह केवल धनिकों तथा अल्पसंख्यकों के लिए लोकतंत्र है।''

2. **सर्वहारा वर्ग की तानाशाही अथवा समाजवादी लोकतंत्र (Dictatoship of the Prolefariat or Socialist Democracy)** :– मार्क्सवादियों के अनुसार, राज्य का स्वरूप समाज के आर्थिक ढांचे पर निर्भर करता है। जब सर्वहारा वर्ग क्रांति करके पूंजीवादी व्यवस्था का तख्ता उलट देगा तो उसके पश्चात अर्थव्यवस्था और उसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होगा। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन के साधनों को पूंजीपतियों और जमीदारों से छीनकर मजदूरों और किसानों के हाथों में सौंप दिया जाता है तथा राजनीतिक सत्ता पर भी सर्वहारा वर्ग का कब्जा हो जाता है सेना, पुलिस, न्यायालय तथा प्रशासन पर सर्वहारा वर्ग का एकाधिकार स्थापित हो जाता है। मार्क्सवादियों के अनुसार, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मानव विकास का अंतिम चरण नहीं है। यहएक अस्थाई अवस्था(Transitional State) है। अंतिम चरण तो एक आदर्श से साम्यवादी समाज है जिसकी स्थापना के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही निरंतर प्रयास करेगी। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक और पूंजीवाद के बचे हुए अंशों का दमन करेगी ताकि वे एक प्रति (उल्टी) क्रांति (Counter Revolution) न ला सके। दूसरी और वह समाजवाद की स्थापना करके वर्ग शोषण को समाप्त करके एक वर्गहीन (Classless) समाज की स्थापना करेगी। मार्क्सवादी यह समझते हैं कि जब समाज में वर्ग भेद नहीं रहेंगे तो अंत में राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य तो एक वर्ग शोषण का यंत्र है। अतः राज्य भी विलुप्त हो जाएगा और एक आदर्श समाज की स्थापना हो जाएगी, जो कि वर्गहीन भी होगी और राज्य हीन भी। (Statless and classless society.)

3 **आदर्श साम्यवादी समाजः विशुद्ध लोकतंत्र (Ideal Communist Society : Pure Democracy)** :–मार्क्स (Marx) और एंजेल्स (Engles) के अनुसार समाजवादी व्यवस्था के पश्चात साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। यह एक आदर्श व्यवस्था है, जोमार्क्सवादियों का अंतिम लक्ष्य है। समाजवाद में राज्य रहता है। सेना, पुलिस आदि के दमन के उपकरण रहते हैं, जिनका प्रयोग पूंजीवाद के अवशोषण के विरुद्ध किया जाता है।अतः समाजवादी व्यवस्था में पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं है। यदि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है। परंतु समाजवादी व्यवस्था धीरे–धीरे वर्ग वेदों को समाप्त कर देती है और फिर अंत में साम्यवादी समाज की स्थापना होती है। इसमें न वर्ग होते हैं, न ही राज्य। जब पूंजीपतियों का पूर्ण विनाश हो जाएगा तो अपराध भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी और फिर सेना, पुलिस, जेल या न्यायालयों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अतः राज्य संस्था फालतू हो जाएगी(Super flows) हो जाएगी और अन्ततः विलुप्त (State will perish)हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मनुष्य में स्वार्थपरता की बजाय सामाजिक भावना का इस सीमा तक विकास हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति समाज की हित की दृष्टि से कार्य करेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार वेतन दिया जाएगा जबकि समाजवादी व्यवस्था में वेतन काम के अनुसार दिया जाता, आवश्यकतानुसार नहीं। एंजेल्स ने साम्यवादी व्यवस्था को संपूर्ण लोकतंत्र की अवस्था माना है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए है और समाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए।

2.2.20 मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना

(Criticism of Marxian Theory of Democracy)

लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की गई है :–

मार्क्सवादी लोकतंत्र का एक तरफा (Marxist View of Democracy is one Sided)

लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक सत्ता जनसाधारण के पास है तथा उसका प्रयोग सभी वर्गों के हितों के लिए किया जाता है।मार्क्सवादी पूंजीवादी लोकतंत्र को झूठा लोकतंत्र मांगते हैं क्योंकि इसमें शक्ति का प्रयोग पूंजीपति वर्ग के द्वारा केवल अपने हित पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें मजदूरों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है तथा उनके हितों की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार इस व्यवस्था को अधूरा लोकतंत्र माना जाता है।

विरोधी विचारधारा को दबाया जाता है (Suppression of Opposition)

आलोचकों का कहना है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वास्तव में लोकतंत्र में होने की बजाय अधिनायकतंत्रीय व्यवस्था का है। क्योंकि इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं सरकार की आलोचना करने वालों की सख्ती से कुचल दिया जाता है।

वर्गहीन समाज संभव नहीं (Classless Society is not Possible)

मार्क्सवादियों का कहना है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाज की स्थापना करके वर्ग–विहीन समाज की स्थापना करेगी, परंतु सोवियत संघ और चीन जैसे समाजवादी राज्यों में यदि आर्थिक विषमताएँ काफी कम हुई है परंतु जो राजनीतिक क्षेत्र में विषमताएँ बढ़ी हैं। इन देशों में एक नया शासक वर्ग उभर कर सामने आया है, जिसमें साम्यवादी दल के प्रमुख नेता, उच्च सैनिक अधिकारी आदि हैं।

2.2.21 निष्कर्ष

2.2.22 मुख्य शब्दावली

- लोकतन्त्र
- उदारवादी
- बहुलवाद
- विशिष्ट वर्ग
- मार्क्सवाद

2.2.23 अभ्यास हेतू प्रश्न

1. उदारवादी सिद्धांत अनुसार प्रजातंत्र की परिभाषा बताएं इस सिद्धांत के अनुसार प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन–कौन सी हैं।

   (Explain, according to the liberal theory, the definition of Democracy. What, according to this theory, are the main characteristics of Democracy?)

2. उदारवादी सिद्धांत के अनुसार प्रजातंत्र के गुणों और अवगुणों का वर्णन करो

   (Explain the merits and demerits of Democracy according to the liberal theory.)

3. प्रजातंत्र कितने प्रकार का होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों गुणों एवं गुणों की व्याख्या करें।

   (What are the various types of Democracy? Explain the devices, Mertis and Demerits of Democracy.)

4. प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक अनिवार्य शर्तों की व्याख्या करें।
(Discuss the conditions essential for the success of Democracy.)

5. प्रजातंत्र के विशिष्ट सिद्धांत का क्या अर्थ है इस प्रकार के प्रजातंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
(What is the meaning of Elitist Theory of Democracy? Explain the main characteristics of this theory.)

6. प्रजातंत्र के विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
(Critically examine Elitist Theory of Democracy.)

7. प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का क्या अर्थ है इस सिद्धांत अनुसार प्रजातंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें।
(What is meant by Marxian Theory of Democracy? Explain the main features.)

8. प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
(Discuss critically the Marxist Theory of Democracy.)

2.2.24 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.3 विकास व कल्याणकारी राज्य (Development and Welfare State)

2.3.1 परिचय

परिवर्तन जीवन का आधार है। परिवर्तन व्यक्तिगत स्थानीय, राष्ट्रीय (National) व अंतरराष्ट्रीय (International) आधार पर होता है। परिवर्तन का दूसरा नाम विकास भी हो सकता है। अतः विकास राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता रहता है। देश में विकास हो रहा है या हो चुका है। यह अंतर करना कठिन है। फिर भी जिन देशों में विकास पूर्ण रूप धारण कर चुका है, यह अंतर करना कठिन है। फिर भी जिन देशों में विकास पूर्ण रूप धारण कर चुका है, उन देशों को विकसित (Developed) देश कहा जाता है और जिन देशों में अभी विकास की प्रक्रिया चल रही है या जो देश अभी भी विकास के मार्ग पर अग्रसर है उन देशों को विकासशील (Developing) देश है या उभरते हुए राष्ट्र (Emerging Countries) कहा जाता है।

2.3.2 उद्देश्य

- विकास की प्रक्रिया के बारे में समझना।
- विकास से संबंधित विचारधाराओं को जानना।
- कल्याणकारी राज्य के अर्थ व उसके कार्यों को समझना।
- कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्तों के बारे में जानना।
- विकास के बारे गाँधी जी के मॉडल का मूल्यांकन करना।

2.3.3. विकास क्या है? (What is Development?)

विकास की अवधारणा का संबंध परिवर्तन से बताया जाता है वर्तमान भौतिकवादी युग में व्यक्ति या समाज के विकास की धारणा का अर्थ है आर्थिक विकास से ही लिया जाता है भौतिकवाद से संबंधित है दो मुख्य विचारधाराएं हैं – (1) पूंजीवाद (2) साम्यवाद। इस समय साम्यवादी विचारधारा अपने अंतर्विरोधों के कारणों से नष्ट होती जा रही है और पूंजीवादी विचारधारा अपने ही बोझ में दबकर समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में विकास की अवधारणा का तात्पर्य भौतिक (meterialistic) विकास के साथ–साथ आध्यात्मिक (Spiritual) विकास भी है।

2.3.4 विकास की परिभाषा (Definition of Development)

विकास की परिभाषा करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि विभिन्न लेखकों ने इसकी परिभाषा अपने–अपने दृष्टिकोण से दी है। कुछ विद्वान विकास को राजनीति की ऐसी स्थिति मानते हैं जो आर्थिक उन्नति में सुविधा पहुँचा सके। कुछ लोग इसका संबंध परिवर्तन से बताते हैं– राजनैतिक (Political), सामाजिक (Social) तथा आर्थिक (Economic) परिवर्तन। कुछ विद्वान औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीतिक रूप में विकास का अध्ययन करते हैं। कुछ लेखक राजनीति विकास को आधुनिकीकरण (Modernisation) का सूचक मानते हैं। कुछ विद्वान विकास का अर्थ प्रशासनीय और वैधानिक विकास से लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति में अधिक से अधिक लोगों का भाग लेना भी विकास में शामिल है। विद्वानों द्वारा दी गई विकास की कुछ मुख्य परिभाषा इस प्रकार से है :–

1. विलियम चैंबर्स (William Chambers) के अनुसार ''विकास को एक ऐसी आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था की ओर अग्रसर समझा जा सकता है जिसमें उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता हो, जिसका उसे सामना करना पड़ता है, उसमें संरचनाओं का निवेदन और कार्यों की विशिष्टता होती है।'' (Political development may be understood as a movement towards political system by which it is capable of handling the loads it confronts, characteritics by significant differenciation of strcutures and specificiation of functions increasingly centralized and able to maintain itself.)

2. मैकेंजी (Mackenzie) का कहना है,''विकास समाज में उच्चस्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूल होने की क्षमता है।'' (The capacity of adopt to a higher level of adaptibility.)

3. राल फ्रांड डायमेंड (Rawl Frand Diamond)का कथन है कि ''विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप में प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है।''

4. लुसियन पाई (Lucian Pye) के अनुसार,''राजनीतिक विकास, संस्कृति का विसरण (Diffusion) और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है।''

5. आमंड और पावेल (Almond and Powell) के अनुसार ''विकास राजनीतिक संरचनाओं की अभिवृद्धि,विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण है।''

6. मिटलमैन (Mitalman)का कहना है कि ''विकास का अर्थ सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के तर्कसंगत प्रयोग की अक्षमता को बढ़ाना है।''

विकास मानव अथवा मनुष्य से संबंधित है जिसकी कुछ समस्याएं हैं।

मनुष्य जाति की समस्याएं
(Problems of Mankind)

कहावत है 'नानक दुखिया सब संसार' अर्थात गुरु नानक ने कहा है कि संसार में सब दुखी है। मनुष्य जाति की विभिन्न समस्याएं निम्नलिखित है :–

भूख, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की समस्याएं (Problems of Hunger, Housing, Education, Health etc.)

भारत की आबादी में हर साल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर वृद्धि हो जाती है। एशिया और अफ्रीका के सभी देशों की जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। रोटी दिन–प्रतिदिन और महंगी होती जा रही है, पर खाने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जनसंख्या की बढ़ोतरी के साथ विभिन्न आवश्यकताएँ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती हैं, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, घरेलू चीजें, सुविधा और शोक की चीजें, सिनेमा, थियेटर शिक्षा व परिवहन सुविधाएं आदि।

जातीय सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याएं (Ethnic, Cultural and Religious Problems)

जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याएं पिछले कुछ वर्षों में अधिक भीषण बन गई है। इन समस्याओं ने कुछ सीमा तक विभिन्न देशों की राजनीति एकता और शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। भारत में जातीय बंधन बहुत

मजबूत हो रहे हैं। अंग्रेजों ने न केवल हिंदुओं के प्राचीन वर्णभेद –ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदिको उभारा, बल्कि अन्य सांप्रदायिक शक्तियों के गठन को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। सीमा पार आतंकवाद का निर्यात, लोगों में डर फैलाने की दृष्टि से सार्वजनिक शांति में विघ्न–बाधा पैदा करना तथा मजहबी कट्टरवाद (यह सब कुछ पहले से ही विद्यमान था) परंतु अब बढ़ रहा है।

पर्यावरण का प्रश्न (Problem of Clean Environment)

पर्यावरण का प्रश्न बड़ा जटिल बनता जा रहा है, जिससे सारी मानव जाति के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया के 7 बड़े औद्योगिक देशों (G-7) में संसार की करीब उपयोग 12 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, पर विश्व के अलावा 70 प्रतिशत संसाधनों (Resources) का कार्य देश कर रहे हैं। ये लोग विकासशील देशों के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि इनके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, पर यह बात गलत है।

परमाणु शस्त्रों का प्रसार (Proliferation of Nuclear Weapons)

परमाणु शास्त्रों की होड़ को समाप्त किया जाए, इसे सभी समझदार व्यक्ति स्वीकार करते हैं। इस दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई, पर वह सिर्फ एक शुरुआत है। अभी इस दृष्टि में बहुत कोशिश किया जाना शेष है। अरबों–खरबों रुपया शस्त्रों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। इस विपुल धनराशि का उपयोग यदि खान–पान, आवास, शिक्षा और चिकित्सा के स्तर को उठाने के लिए किया जाता, तो मनुष्य जाति का कितना लाभ होता? परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर भी रोक लगाना आवश्यक है।

मानव अधिकारों की रक्षा (Protection of Human Rights)

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में बाधा उत्पन्न करना, श्रमिक यूनियनों पर पाबंदी लगाना, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का उत्पीड़न, दासता, बिना उचित कारण के बंदी बनाना, कैदियों के साथ निर्दयता का व्यवहार, विरोधियों का सफाया, आदि बातें मानव अधिकारों के विरुद्ध है। सभी राज्यों का दायित्व है कि वह वर्ण, धर्म, जाति या लिंग का चयन किए बिना सभी नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करें संसार के कई देशों में मानवीय अधिकारों के लिए खतरा पैदा हो गया है और वह है आतंकवादियों की गोलियां। कोई भी सरकार इस उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकती कि अपने नागरिकों का आतंकवाद से रक्षा करे।

2.3.5 विकास के लक्ष्य (Goals of Development)

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तकनीकी और औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याओं से निपटना मनुष्य जाति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है, परंतु पुरानी समस्याओं से निपटना मनुष्य जाति के लिए अभी बाकी है जैसे कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या (Population)(आबादी) के लिए भोजन,ईंधन, निवास स्थान, स्वास्थ्य, रोजगार आदि जुटाना। गालब्रेथ (Galbraith) ने तो यहां तक कहा है कि अब ''विलास की वस्तुओं'' (Luxury) और ''आवश्यक वस्तुओं''(Necessity) का अंतर समाप्त हो गया है। इसका कारण है कि जनसाधारण अब उन चीजों का भी उपयोग करने लगा है जो कभी विलास की वस्तुएं मानी जाती थी। विकासशील देशों के संदर्भ में मुख्य रूप से हमारे चार लक्ष्य (Goals) होने चाहिए :–

भौतिक लाभ (Material Benefit)

भौतिक लाभ का एक ऐसा स्तरकि व्यक्ति को जीविका–उपार्जन के साथ–साथ वे सभी चीजें भी मिल सकें जो उसकी

प्रतिभा के रचनात्मक विकास के लिए जरूरी है। सभी की न केवल मूलभूत आवश्यकताएं (Basic Needs) ही पूरी हो सकें, बल्कि उन्हें वे वस्तुएं भी मिले जो कार्यकुशलता बढ़ाने और अवकाश के क्षणों के सही इस्तेमाल के लिए आवश्यक है।

प्रकृति का दोहन (Exploitation of Nature)

प्रकृति का दोहन सिर्फ एक ऐसी सीमा तक किया जाए कि जिन प्राकृतिक पदार्थों का नाश हो रहा है, उनकी प्रतिपूर्ति हो सके।

निचले वर्गों तक लाभ भी पहुंचे (Benefit to percolate downwards)

समाज कल्याण के उपायों द्वारा आर्थिक प्रगति का लाभ निचले वर्ग तक भी पहुंचे। गरीब वर्गों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्र की प्रगति में सहज रूप से भागीदार बनाना ही आर्थिक विकास का मूल मंत्र है। कुछ विकसित देशों में इस समस्या का यह समाधान निकाल लिया गया है कि बेरोजगारों को 'बेकारी भत्ता' (Unemployment Benefit) दे दिया जाए। पर इस तरह की कोई सुविधा ''रोजगार'' (Employment) का विकल्प (Alternative) नहीं बन सकती है।यह जरूरी है कि हर व्यक्ति को यथासंभव उसकी रुचि व पसंद का काम उपलब्ध कराया जाए।

लोकतंत्र विकास का विरोधी नहीं (Democracy is not inimical to development)

लोकतांत्रिक प्रणाली सामाजिक–आर्थिक चुनौतियां शांति के बावजूद जीवन का एक अंग बन चुकी हैं। प्रणाली की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाता है। शांति, सुरक्षा, पर्यावरण और विकास ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। 21वीं शताब्दी में यह सिद्ध होना है कि ''जब लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, तभी विकास सर्वाधिक सुनिश्चित होगा।''

विकास के वैकल्पिक मार्ग (Alternative Paths of Development)

विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं ने विकास के अलग–अलग मार्गों का प्रतिपादन किया है विकास के लिए निम्नलिखित मार्गों का अध्ययन करना जरूरी है :–

1. बाजार अर्थव्यवस्था का मार्ग (The course of Market Development)
2. कल्याणकारी राज्य प्रतिरूप (Model of Welfare State)
3. विकास का समाजवादी दृष्टिकोण (Socialist view of Development)
4. विकास का गांधीवादी दृष्टिकोण (Gandhian View Regarding Developments)

अब इन दृष्टिकोण ओ का अध्ययन विस्तार से करेंगे :–

बाजार अर्थव्यवस्था का मार्ग (The course of Market Development)

बाजार अर्थव्यवस्था (Market) का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को प्रतियोगिता (Competition),अहस्तक्षेप नीति (Laissez Faire)तथा मांग व पूर्ति की शक्तियों (Forces of Demand and Supply) की सामान्य प्रक्रिया पर छोड़ दिया जाना चाहिए। व्यापार और प्रौद्योगिकी (Technology) के क्षेत्र में राष्ट्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उन्हें विश्व बाजार की शक्तियों के अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बाजार व्यवस्था में मुख्यतः निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :–

मुक्त उद्यम (Free Enterprise)

मुक्त उद्यम का अर्थ है कि उद्योगपतियों में पूंजीपतियों को उद्योगों की स्थापना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ निश्चित उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए सरकार से किसी प्रकार का लाइसेंस (Licence) लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वर्तमान उद्योगों को अपना विस्तार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

विदेश पूंजी निवेश (Foreign Investment)

बाजार अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का स्वागत किया जाता है ताकि देश औद्योगिक विकास कर सके। निर्धन देश अपना विकास करने के लिए बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों (Multinational Companies) का स्वागत करते हैं। भारत में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी निवेश (Foreign Investment) की अनुमति दी गई है।

विदेशी तकनीक (Foreign Technology)

विकासशील देश अपने उद्योगों का उचित विकास करने के लिए न केवल विदेशी पूंजी निवेश पर निर्भर करते हैं,अपितु विदेशी तकनीक का भी आयात किया जाता है। आजकल विपणन (Marketing) के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाओं और आधुनिक प्रबंध तकनीक का आदान–प्रदान हो रहा है।

मुक्त व्यापार (Free Trade)

बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार समस्त विश्वल को एक बाजार समझा जाए और विश्व के सभी देशों को बिना किसी रोक–टोक व प्रतिबंधों के व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो अर्थात् सरकारों द्वारा आयात व निर्यात पर प्रतिबंद नहीं होने चाहिए।

आर्थिक उदारीकरण की प्रतिक्रिया (Process of Economic Liberalisation)

भारत में स्वतंत्रता के पश्चात योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को अपनाया गया, परंतु पिछले कुछ वर्षों से भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति का अनुसरण किया जा रहा है। विकासशील देशों को अपना विकास करने के लिए आधुनिकतम तकनीक की आवश्यकता है जो विदेशों में उदारीकरण की नीति अपनाकर ही प्राप्त की जा सकती है।

2.3.6 कल्याणकारी राज्य (Welfare State)

आधुनिक युग कल्याणकारी राज्य का युग है, वर्तमान युग में अधिकांश विचारकों तथा विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है।

कल्याणकारी राज्य की परिभाषा (Definition of Welfare State)

कल्याणकारी राज्य की परिभाषा विभिन्न विचारकों ने अपने–अपने विचारानुसार दी है :–

1 हाबमैन (Hobman) के अनुसार ''कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और स्वेच्छावादी व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। कल्याणकारी राज्य जीवन का न्यूनतम स्तर देने का दायित्व लेता है, जिसके कारण व्यक्तिगत उद्यमों के उत्साह को ठेस नहीं पहुंचती। यह नागरिकों में आर्थिक समानता स्थापित नहीं करता, अपितु अधिक

आय वालों पर अधिक कर लगाकर सीमित रूप से आय का विवरण करता है। इसके अतिरिक्त रोगावस्था, वृद्धावस्था और बेरोजगारी की अवस्था में वित्तीय सहायता देता है।'' (Welfare state is a compromise between communism on the oneside and unbridled individualism on the other ... the welfare state set a pattern for any human and progressive society ... the welfare state gurantees a minimum standard of subsistence without removing incentive of private enterprise and it brings about a limited redistribution of income by means of graudated high taxation. Yet it does not pretend to establish economic equality among its citizens. All are assured adequate help in case of need, whether the need is due to illness, old age unemployment or any other cause.")

2 काण्ट (Kant) के अनुसार ''कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है।'' (Welfare state is a state that provides a wide range of social services.)

3 अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) के विचारानुसार,''वह समाज जहां राज्य शक्ति का प्रयोग निष्ठापूर्वक साधारण अर्थव्यवस्था को इस प्रकार बदलने के लिए किया जाए, कि प्रत्येक नागरिक के लिए संपत्ति का उचित वितरण हो सके।'' (A community where state power is deliberately used to modify the normal plan of economic force to obtain a more distribution of income for every citizen.)

4 डी०एच० कोल (D.H. Cole) के अनुसार,''कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है, जिसमें एक निश्चित न्यूनतम जीवन स्तर और अवसर की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अधिकार अवश्य दिया जाता है।'' (Welfare state is a society in which an assured minimum standard of living and opportunity becomes the possession of every citizen.)

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य, वह राज्य है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण है, जो स्वयं को जनता का प्रभु नहीं समझता, अपितु मानव जाति का सेवक समझता है। मानव कल्याण राज्य की मुख्य विशेषता है।

2.3.7 राज्य के लोककल्याणकारी कार्य (Welfare Activities of State)

विभिन्न विद्वानों ने कल्याणकारी राज्य के निम्नलिखित कार्यों का वर्णन किया है :–

आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)

इसका अभिप्राय यह है कि सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। 'बीमारी, बेकारी और बुढ़ापे' की स्थिति में सरकार नागरिकों को पेंशन दे। पश्चिमी यूरोप के बहुत से देशों जैसे इंग्लैंड, स्वीडन और डेनमार्क में नागरिकों को बेकारी और बुढ़ापे की स्थिति में राजकीय सहायता मिलती है। अमेरिका में भी मजदूरों को बेकारी की स्थिति में राज्य की ओर से मुआवजा (Unemployment Compensation) दिया जाता है।

शिक्षा की सुविधाएं (Educational Facilities)

आजकल सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पश्चिमी यूरोप के देशों में उदार शिक्षा प्रणाली पाई जाती है। सरकार विद्यालयों को आर्थिक अनुदान देती है।

मुफ्त इलाज की व्यवस्था (Provision for Medical Care)

स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से भी राज्य कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। बीमार पड़ने पर राज्य द्वारा चिकित्सा का प्रबंधन किया जाता है।

बुनियादी जरूरत (Basic Needs)

लोगों की बुनियादी जरूरतों में भोजन, कपड़े और चिकित्सा के साथ–साथ आवास (Housing) का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे गरीब देशों में आवास सुविधाओं की बड़ी कमी है। इसलिए भारत में आवास के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

अनैतिक व्यापार का दमन (Suppression of Immoral Activities)

आधुनिक राज्य बच्चों और महिलाओं को शोषण से बचाते हैं। उन्हें कड़ी मेहनत व मजदूरी के कामों में लगाने पर रोक लगाई जाती है।

अन्य विकासात्मक कार्य (Other Development Activities)

भारत जैसे विकासशील देशों में विकासात्मक कार्यों की एक लंबी सूची बनेगी। मोटे तौर पर विकास के संबंध में तीन बातें कही जा सकती है जो कि इस प्रकार हैं :–

1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income)
2. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in Percapital Incomes)
3. जीवन स्तर में सुधार (Improvement in quality of life)

उपरोक्त तीनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य को बहुत से विकास कार्य अपने हाथ में लेने होंगे जैसे भूमि–विकास औरभू–संरक्षण (Land Improvement and Social Conservation), जलापूर्ति कार्यक्रम, सड़कों, जहाजरानी और जल वाहन के साधनों का विकास (Development of Roads, Shipping and Water Transport), औद्योगिक नियमन और छोटे छोटे उद्योगों का विकास (Regulation of Industry and Development of small scale industries), तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था (Provision of Technical Training and Vocational Education), आवास योजनाएं लागू करना (Operation of Housing Schemes) तथा उद्योग और कृषि के लिए ऊर्जा की आपूर्ति (Supply of Energy for Industrial and Agricultural Sectors), विकास के लिए ''पूंजी निर्माण'' (Capital Formation) जरूरी है। पूंजी निर्माण के विभिन्न साधन इस प्रकार हैं :– बचत कर–नीति (Taxation Policy), सार्वजनिक ऋण (Public Debt), विदेशी सहायता और संसाधनों का उचित निवेश (Proper investment of resources)। इन सभी मामलों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है।

नागरिक स्वतंत्रता (Civil Liberties)

एक सच्चा लोक हितकारी राज्य वह है जो नागरिकों को रोटी के साथ–साथ स्वतंत्रता (Bread with liberty) भी प्रदान करता हो।

मूल्यांकन

(An Evaluation)

आर्थिक–राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए चरित्र बल भी आवश्यक है। जिसके तीन प्रमुख तत्व हैं – उत्पादन–विस्तार की भावना से प्रेरित होना (Motivation), आत्मनियंत्रण (Self restraint) तथा अनुशासन (Discipline)।

2.3.8 कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की आलोचना (Critism of the Theory of Welfare State)

लोक–कल्याणकारी राज्य के कार्यों के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि इस तरह का राज्य मानव समाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी है फिर भी लोक कल्याणकारी राज्य की कुछ विद्वानों ने आलोचना की है, जो निम्नलिखित है।

खर्चीली व्यवस्था (An Expensive Affair)

कल्याणकारी राज्य के आलोचकों का कहना है कि इस व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा अनेकों तरह के कार्य करने से राज्य पर होने वाला व्यय–भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस व्यवस्था का उपयोग भारत जैसे गरीब देश में नहीं है। यदि यहां इस व्यवस्था का सहारा लिया गया तो सरकार को जनता पर और अधिक टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे जनता का जीवन और अधिक कष्ट पूर्ण हो जाएगा।

अस्पष्ट अवधारणा (Ambigous Concept)

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अस्पष्ट अवधारणा है। यह कहना तो अच्छा है कि राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए, परंतु लोक कल्याण से तात्पर्य क्या है?, इसकी सुनिश्चित व सर्वमान्य व्याख्या किसी ने नहीं की।

विरोधाभासी अवधारणा (Contradictory Concept)

कल्याणकारी राज्य में केवल गरीबों का स्तरऊंचा उठाने की बात कही जाती है, परंतु जिस समाज में आर्थिक विषमता बहुत अधिक हो, वहां अक्सर समानता हो ही नहीं सकती।

नागरिक स्वतंत्रता में कमी (A curbon civil liberty)

भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में राज्य का कार्य बढ़ाने से नागरिकों की स्वतंत्रता में कमी आ जाती है। नागरिकों को राज्य द्वारा लागू नियमों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इससे उनका नैतिक विकास भी रुक जाता है। राज्य निर्भरता बढ़ने से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह जाता।

पूंजीपतियों का विरोध (Opposition by Capitalists)

लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का सबसे अधिक विरोध पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है क्योंकि इस व्यवस्था में उनके द्वारा संचालित उद्योगों में मनमाना मुनाफा कमाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाकर उन पर भारी कर भी लगाए जाते हैं पूंजी पतियों का कहना है कि इससे उत्पादन घट जाएगा और राष्ट्रीय आय को हानि होगी।

नौकरशाही का अनुचित महत्व (Undue Importance of Bureaucracy)

इस व्यवस्था में राज्य के कार्य क्षेत्र का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाने से शासन में नौकरशाही का प्रभाव और महत्व

अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। विशेषज्ञ होने के कारण आमतौर पर नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण सरकारी अधिकारियों द्वारा ही होता है और मंत्रीगण उन पर केवल हस्ताक्षर करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

यद्यपि आलोचकों ने लोक–कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के विरुद्ध अनेक तर्क दिए हैं लेकिन यह तर्क उचित नहीं है। उदाहरण के लिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस व्यवस्था का सहारा भारत जैसे गरीब देश में नहीं लिया जा सकता। आजादी मिलने के बाद भारत देश में भी लोक कल्याण के अनेक कार्य शासन द्वारा पूरे किए गए हैं और उससे सर्वसाधारण को भी लाभ हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही के कार्यों में बढ़ोतरी होती है। इसमें संदेह नहीं कि कोई भी समझदार व्यक्ति लोक कल्याण की आलोचना विरोध के लिए तैयार नहीं है।

2.3.9 विकास के संबंध में सामाजिक विचारधाराएं (Socialist Views Regarding Development)

समाज का उदय 'पूंजीवाद' के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। यूरोप के औद्योगिक विकास ने आम लोगों विशेषकर श्रमिकों के जीवन को नरक (Hell) किया बना दिया गया था। पूंजीपति मजदूरों का शोषण कर रहे थे। मजदूरों के रहने के लिए न तो उपयुक्त मकान थे और न ही सफाई व्यवस्था का प्रबंध। अहस्तक्षेप–नीति (Saissez-faire) के कारण मजदूरों की शारीरिक व नैतिक दशा बिगड़ने लगी। कुछ विचारशील लोगों का ध्यान उनकी दुर्दशा और विपत्ति की ओर गया। समाजवादी विचारक 'व्यक्ति' की अपेक्षा 'समाज' को अधिक महत्व देते हैं और मानव–समानता को अपना लक्ष्य मानते हैं। समाजवाद व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। समाजवाद की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है क्योंकि इसके विचारकोंद्वारा इसे अपने ढंग से परिभाषित किया गया है। एक लेखक ने तो समाजवाद की तुलना एक टोपी से की है, जिसका आधार बिगड़ चुका है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे अपने तरीके से पहना। रैम्जेम्योर (Ramasy Muir) ने समाजवाद के बारे में कहा है कि ''यह एक गिरगिट के समान है जो परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है।'' (It is chameleon like creed, it changes its colour according to its enviornment.) समाजवाद एक व्यापक मानवीय आंदोलन है। अतः व्यक्तियों विचार को तथा परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है। यह केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं बल्कि आर्थिक आंदोलन की है। समाजवाद की अवधारणा को साधारण दो भागों में विभाजित किया गया है :–

मार्क्सवाद (Marxism)

समाजवाद का सबसे प्रभावशाली समर्थक कार्ल मार्क्स था। उसने दीन दुःखी व शोषित, श्रमिक वर्ग के विकास के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया। वह जानता था कि श्रमिक वर्ग की दयनीय हालत में सुधार केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है। मार्क्स समाज को दो वर्गों में बांटता है :–

1. शोषक वर्ग (Exploiter)
2. शोषित वर्ग (Exploited)

पहले सोशल वर्क का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। वह साधनों का स्वामी होता है और दूसरा वर्ग शासित अपने श्रम पर जीने वाला होता है। पूंजीपति अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस कारण में मजदूरों को कम से कम मजदूरी देना चाहता है दूसरी और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतःहितों के इस विरोध के कारण दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यह वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा चलता रहता है।मार्क्स का विचार था कि मजदूरों में असंतोष, चेतना तथा संगठन बढेगा। वह विश्व के मजदूरों

को संगठित होने के लिए कहता है। मार्क्स (Marx) ने कहा है कि 'विश्व के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ' और पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति कर दो। इस क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग राज्य की शक्ति पर काबू पा लेगा पूंजीवाद को जड़ से समाप्त कर देगा सारी संपत्ति पर मजदूरों का ही नियंत्रण हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही (Dictotarship of proletariat) की स्थापना हो जाएगी और ऐसे समाज की स्थापना हो जाएगी, जिसमें अन्याय शोषण व अत्याचार नहीं होगा। वर्ग विहीन (Class less) व राज्य विहीन (State less) व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामर्थ्य और उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। (From each according to his ability to each according to his need.) इस तरह मार्क्स एक नवीन समाज का विकास करता है।

2.3.10 विकासवादी तथा लोकतांत्रिक समाजवाद (Evolutionary or Democractic Socialism)

लोकतांत्रिक समाजवाद, समाजवाद का वह रूप है जो जन–सहमति के आधार पर धीरे–धीरे स्थापित किया जाता है। समाजवाद (मार्क्सवाद) व लोकतांत्रिक समाजवाद में मुख्य अंतर दोनों द्वारा अपनाए के साधनों से है। दोनों का उद्देश्य तो एक ही है – पूंजीवाद को समाप्त करना, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। दोनों ही व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने के पक्ष में है। परंतु जहां मार्क्सवादी इस उद्देश्य की प्राप्ति रक्तिम क्रांति (Blody Revolution) द्वारा करना चाहते हैं, वहां लोकतांत्रिक समाजवादी इस उद्देश्य की प्राप्ति संवैधानिक तरीके (Constitutional Means) से करने के पक्ष में हैं। वे वर्ग सहयोग व शांतिपूर्ण उपायों से सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं।

आलोचना
(Criticism)

आलोचकों का कहना है कि समाजवादी मॉडल रूस और चीन में अपनाया गया। रूस में सन 1917 तथा चीन में सन 1949 में समाजवादी तथा साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों देशों में क्रांतिकारी ढंग से समाजवाद की स्थापना की गई है। लेकिन वहां पर अभी तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई।

व्यक्ति मात्र एक पुर्जा

इस मॉडल में व्यक्ति मशीन का मात्र एक पुर्जा बनकर रह गया है। साम्यवादी समाज में व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। साम्यवादी व्यवस्था में शक्तियों का बहुत अधिक केंद्रीयकरण देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति की गरिमा के लिए कोई स्थान नहीं है।

वास्तविकता यह है कि किसी भी देश में अर्थव्यवस्था पर न तो पूर्ण राज्य का नियंत्रण है और न ही व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, बल्कि सभी देशों में 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (Mixed Economy) को अपनाया गया है। फलस्वरूप राज्य का सीमित हस्तक्षेप होता है।

2.3.11 विकास का गांधीवादी मॉडल
(Gandhian Model of Development)

महात्मा गांधी अर्थशास्त्री नहीं थे तथा न ही उन्होंने कोई विकास का औपचारिक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि व उद्योग से संबंधित कुछ नीतियों का अवश्य ही प्रतिपादन किया है। गांधी मॉडल का मुख्य उद्देश्य देश की जनता का भौतिक व सांस्कृतिक विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के 5.5 लाखगाँवों के आर्थिक बल, कृषि विकास व ग्रामीण विकास पर दिया गया है। गांधीजी ने विकास की बात की भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही है। उनका उद्देश्य था 'सर्वे भवन्तु सुखिन' अर्थात् उन्होंने सम्पूर्ण मानव के विकास एवं सुख की बात की है।

गांधीवादी मॉडल की विशेषताएं (Characteristics of Gandhian Model)

गांधी जी ने समाज के विकास की जो योजनाएं प्रस्तुत की, उनका आर्थिक संबंध भारत से है। उनका विचार था कि विकास मात्र भौतिकी नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का आत्मिक विकास सर्वोपरि है गांधीजी के मॉडल के मुख्य रूप से तीन पक्ष है :–

1. विकास का आर्थिक पक्ष (Economic Aspect of Development)
2. विकास का सामाजिक पक्ष (Social Aspect of Development)
3. विकास का राजनीतिक पक्ष (Political Aspect of Development)

विकास का आर्थिक पक्ष (Economic Aspect of Development)

गांधी मॉडल में विकास के आर्थिक पक्ष पर गांधी (Gandhi) के विचार निम्नलिखित हैः–

1. **कृषि का महत्व (Importance of Agriculture)** :–भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें लगभग 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। इसलिए कृषि का विकास अनिवार्य है। गांधी (Gandhi) ने कृषि विकास पर बल दिया है
2. **कुटीर व ग्रामीण उद्योग (Small Scale and Village Industries)** :–गांधियन (Gandhian) मॉडल में कुटीर ग्रामीण उद्योग धंधों पर बल दिया गया है। उन्होंने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया है। उनका विचार था कि भारत की जनसंख्या का अधिक भाग गाँवों में रहता है। इसलिए गांवों का विकास अनिवार्य है। गांधी ने खादी पहनने व बनाने पर बल दिया।
3. **श्रम के लिए सम्मान (Respect for Labour)** :–गांधी (Gandhi) ने विकास योजना के अंतर्गत श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके अनुसार आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने भरण–पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई रखने का प्रयत्न नहीं करेगा।
4. **न्यासी (Trusteeship)** :–गांधी मॉडल के अनुसार समाज में विकास आर्थिक विषमताओं को दूर करने के बाद हो सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि इन विषमताओं को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए गांधी ने दंगों के हृदय परिवर्तन का सुझाव दिया है। दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए गांधी जी के द्वारा न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार अपने समाज की धरोहर और उसे अपने ऊपर निर्भर करते हुए समाज के हित कार्यों में लगाएं
5. **औद्योगीकरण का विरोध (Opposition to Industrialisation) :–**गांधीयन मॉडल औद्योगिकरण के विरुद्ध है। बड़े उद्योगों में अधिक मात्रा में कच्चे माल और बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित पदार्थों के विक्रय के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है तथा कच्चा माल वह बड़े बाजारों की खोज में यह परिवर्तित साम्राज्यवाद (Imperialism) को जन्म देती है। गांधी (Gandhi) उद्योगों के मशीनीकरण के विरुद्ध थे। उनका सिद्धान्त था की जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन में काम आती है, उनका प्रयोग उचित है और जो मशीनें मनुष्य के शोषण को प्रोत्साहित करती है, उनका विरोध करना चाहिए।

इस प्रकार गांधीजी ने न तो 'पूंजीवाद' का समर्थन किया है और न'साम्यवाद' को सराहा। गांधीवादी समाजवाद एक तीसरा और बिल्कुल नया मार्ग है, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के गुण तो सम्मिलित हैं, पर जो दोनों

के दोषों को नकारता है। गांधीजी के समाजवाद में राजा और रंक दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।वास्तव में गांधीजी उतना आर्थिक व्यवस्था का बदलाव नहीं चाहते थे, जितना की मनुष्य का। उन्होंने यह कहा है कि ''एक राजा भी समाजवादी हो सकता है, बशर्ते कि वह अपने को जनता का सेवक समझे।'' (Even a king can be a socialist be becoming a servant of people.)

विकास का सामाजिक पक्ष (Social Aspect of Development)

गांधीयन मॉडल केवल आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि इसमें मनुष्य के सामाजिक पक्ष के विकास की ओर ध्यान दिया गया है। गांधी जी के सामाजिक विचार निम्नलिखित है :–

1. **अस्पृश्यता का अंत (End of Untouchability)** : गांधी के अनुसार अस्पृश्यता मानव–जाति के प्रति एक अपराध है। यह भारतीय समाज के लिए एक कलंक है और उनका कथन था कि यह एक ऐसा घातक रोग है, जो समस्त समाज को नष्ट कर देगा।वे अछूतों को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार दिलवाने के पक्ष में थे।

2. **स्त्री–सुधार (Reform in Position of Women)** :– गाँधी जीने सती प्रथा, बाल विवाह और देशदासी–प्रथा आदि स्त्री जीवन से संबंधित बुराइयों का डटकर विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि कानून तथा व्यवहार में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए।

3. **बुनियादी शिक्षा (Basic Education) :–**गांधीयन मॉडल में बुनियादी शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। बुनियादी शिक्षा में दस्तकारी पर बल दिया गया है। इसमें शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। यह शिक्षा–प्रणाली भारतीयों को स्वावलंबी बनाएगी और उन्हें विकास के मार्ग पर अग्रसर करेगी।

4. **सांप्रदायिक एकता (Communal Harmony)** :–गांधीजी मानते थे कि जब तक समाज सांप्रदायिक भावना के आधार पर बैठा हुआ है, तब तक विकास हो ही नहीं सकता।

5. **वर्ण व्यवस्था (Caste System)** :–गांधी जी का विचार है कि समाज में समानता लाने के लिए वर्ण–व्यवस्था को दूर करना चाहिए। उन्होंने कार्य की दृष्टि से किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा।

6. **विकास का राजनीतिक पक्ष (Political Aspect of Development)** :–गांधीजी का विकास मॉडल एक 'राम–राज्य' की स्थापना करने के पक्ष में है। यह आदर्श राज्य लोकतंत्र पर आधारित होगा। राज्य के प्रबंध के मामलों में अहिंसक ढंगों को प्रयोग किया जाएगा। राज्य को साधन माना जाएगा अर्थात राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए।अपने इस आदर्श राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गांधीजी ने ग्राम पंचायत (Gram Panchyat) को महत्व दिया है। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। केंद्र के पास तो कुछ निश्चित अधिकार होंगे।जबकि बाकी सभी शक्तियां पंचायतों के पास होंगी। गांधीयनमॉडल के विकास के लिए लोकतंत्रीय व्यवस्था पर बल दिया गया है।

गांधी जी का 'सर्वोदय' का आदर्श (Gandhi's Ideal of *Sarvodaya*)

जॉन रस्किन (John Ruskin) के ग्रंथ 'ऑनटू दिस लास्ट' (Unto This Last) का गांधीजी ने गुजराती भाषा में 'सर्वोदय' के नाम से रूपान्तरण किया। 'सर्वोदय' (Sarvodays) का सिद्धांत तीन बातों पर बल देता है :–

1. सभी की भलाई :हर व्यक्ति की भलाई सभी लोगों की भलाई में निहित है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि

सभी के हितों की पूर्ति हो। किसी एक व्यक्ति या वर्ग के हित साधन से काम नहीं चलेगा।

2. श्रम का महत्व : एक वकील के श्रम का जितना महत्व है, उतना ही एक नाई के श्रम का चंकि दोनों ही अपने श्रम से अपना भरण–पोषण करते हैं।

3. श्रम–प्रधान जीवन ही एक सच्चा जीवन है, जैसा कि किसान और दस्तकार का जीवन। गांधीजी के अनुसार आधुनिक जीवन की सभी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं का समाधान 'सर्वोदय' में निहित है, क्योंकि उयसे 'स्वार्थ'(Egosim) की सिद्धि होती है और परहित (Alturism) भी सधता है।

2.3.12 गांधीजी के मॉडल की आलोचनात्मक मूल्यांकन (A Critical Assessment)

गांधी जी का 'सर्वोदय' का आदर्श एक अनूठा आदर्श था। उनके मतानुसार राजनीतिक सत्ता अपने में कोई 'साध्य' नहीं है, वह तो लोगों के जीवन में सुधार लाने का एक साधन है। आर्थिक शक्ति की ही तरह गांधीजी राज सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। उन्होंने ग्राम गणराज्य का आदर्श प्रस्तुत किया। गांधी जी का यह सुझाव भी बड़ा महत्वपूर्ण था कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान श्रम–प्रधान उद्योगों के बिना कठिन है। गांधीजी ने 'स्वदेशी' (Swadeshi) की भावना जगाई। धार्मिक क्षेत्र में उनका अर्थ है कि व्यक्ति को पूर्वजों से प्राप्त धर्म का ही पालन करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी का अर्थ है –स्थानीय संस्थाओं (ग्राम गणराज्य) की स्थापना और उन्हीं के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान।आर्थिक क्षेत्र में 'स्वदेशी' का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने पड़ोसियों तथा देशवासियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। गांधीजी एक श्रेष्ठ समाज सुधारक थे। वे वर्णाश्रम धर्म के समर्थक होते हुए भी छुआछूत के घोर विरोधी थे। वह दलितों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानते थे। 'अहिंसा' के माध्यम से उन्होंने आत्मत्याग का आदर्श जनसाधारण के समक्ष रखा। उन्होंने यह कहा कि 'सत्याग्रह और उसकी शाखाएं असहयोग और सविनय कानून भंग, तपस्या के ही दूसरे नाम हैं।''हिंसा और नफरत से जर्जर दुनिया के लिए उनके अहिंसा के संदेश ने संजीवनी का काम किया।

2.3.13 निष्कर्ष

2.3.14 मुख्य शब्दावली

- पूंजीवाद
- साम्यवाद
- कल्याणकारी
- अवधारणा
- शोषक
- विकासवादी

2.3.15 अभ्यास हेतु प्रश्न

1. विकास की अवधारणा का अर्थ है विकास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए।
   (What is meant by concept of Development? What are its various aspects?)

2. विकास के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
   (Discuss the various objects or purposes of Development.)

3. विकास के कल्याणकारी राज्य मॉडल का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए।
(Critically examine the welfare state as model of Development.)

4. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कार्यों का वर्णन कीजिए।
(Explain the Welfare State. Discuss its sphere of activities.)

5. विकास के गांधीवादी मॉडल का आलोचनात्मक अध्ययन करो।
(Examine critically the Gandhian Model of Development.)

6. विकास के सम्बन्ध में गाँधीवादी विचारधारा का परीक्षण करो।
(Examine Gandhi views regarding Development.)

7. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
(Critically examine the concept of Welfare State.)

2.3.16 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.

2.4 सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त (Theories of Social Change)

2.4.1 परिचय

परिवर्तन जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है परिवर्तन के अभाव में जीवन नीरस बनकर रह जाता है। परिवर्तन के अभाव में ठहराव आ जाता है तथा उन्नति और विकास रुक जाता है। किसी तरह परिवर्तन समाज के लिए आवश्यक है। परिवर्तन प्रत्येक समाज में आया और आएगा। प्रत्येक समाज में परिवर्तन के विभिन्न कारण हो सकते हैं।

मार्क्सवादियों (Marxist) के अनुसार समाज में परिवर्तन क्रांति (Revolution) के द्वारा ही लाया जा सकता है उनके अनुसार क्रांति का रूप हिंसात्मक (Bloody) होगा तथा वह सारे समाज को बदलेगी। सामाजिक जीवन का प्रत्येक पहलू उससे प्रभावित होगा मार्क्सवादियों (Marxist) का कहना है कि क्रांति का अर्थ वर्तमान समाज को पूरी तरह से बदलना है। परंतु जो लोग वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से लाभ उठा रहे हैं, इसमें परिवर्तन का विरोध करेंगे। इसी कारण क्रांति में हिंसा का प्रयोग आवश्यक है परंतु कुछ ऐसे समाजवादी विचारक भी है, जो वर्ग संघर्ष तथा हिंसा रहित समाजवाद की स्थापना करने का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त उदारवादी विचारक (Liberal Thinkerrs) जिसमें कार्ल पॉपर (Karl Popper) विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विचारधारा का विरोध करते हैं और इसके लिए शांतिपूर्ण तथा धीमें परिवर्तन (Slow Change) का समर्थन करते हैं।

2.4.2 उद्देश्य

- सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को जानना।
- सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जाँचना।
- सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में समझना।
- सामजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की जानकारी हासिल करना।

2.4.3 सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जानने से पहले परिवर्तन का अर्थ जानना जरूरी हो जाता है। साधारण शब्दों में परिवर्तन का अर्थ किसी क्रिया या वस्तु की पहले से स्थिति में बदलाव से है। इसी संदर्भ में फिचर (Fichter)ने लिखा है,''परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं।'' (Change is defined breifly as a variation from a previous state of mode of existence.) परिवर्तन के लिए तीन बातों की आवश्यकता है :–

1. **वस्तु (Material):**–परिवर्तन किसी न किसी वस्तु से संबंधित होता है
2. **समय (Time)** :–समय में परिवर्तन के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन का समय से घनिष्ठ संबंध है। समय के संदर्भ में ही परिवर्तन का ज्ञान होता है
3. **भिन्नता (Change)** :– वस्तु के रंग, रूप, आकार–प्रकार, संरचना, कार्य अथवा पक्षों की भिन्नता होने से ही परिवर्तन होता है

इस प्रकार परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया (Universal Process) है जो सभी कालों और स्थानों पर हुई और होती रहती है। परिवर्तन संपूर्ण (Complete) या पाक्षिक (Partial) हो सकता है। परिवर्तन एक दिशा (Direction) या कई दिशाओं में हो सकता है। परिवर्तन स्वतः (Sudden) या योजनाबद्ध (Planned) हो सकता है। परिवर्तन धीमा (Slow) या तीव्र (Fast) हो सकता है। परिवर्तन अच्छा या बुरा (Good or Band or unplanned) भी हो सकता है।

सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं
(Definition of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन व्यापक है जिसको परिभाषित करना कठिन कार्य है। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने इससे संबंधित अलग–अलग विचार प्रकट किए हैं। सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित परिभाषा दी गई हैं :–

1. मैकाइबर (Maciver) के अनुसार ''समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रूचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं।'' (Our direct concern as sociologist is with social relationship. It is the change in these relationship which alone we shall regard as a social change.)

2. गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के विचारानुसार ''सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे यह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुआ हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से या प्रसारण से अथवा समूह के भीतर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हो।'' (Social changes are variations from the accepted modes of life, whether due to alterations in geographical condition in cultural equipment, composition of population or ideologies and whether brought about by deffusion or inventins within the group.")

3. मैरिल तथा एल्ड्रिज (Merrel and Aldriz) का मत है, ''जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है, तब हम उनको दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है।'' (When human behaviour is in the process of modification, this is only other-way of indicating that social change is occuring.)

4. किंग्सवे डेविस (Kingslay Davis) के शब्दों में ''सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं, जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और पर कार्यों में घटित होते हैं।'' (By social change is meant only such after in nations as occur in social organisation, that is the structure and functions of society.)

5. जॉन्सन (Johnson) के शब्दों में ''अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है।'' (In its original meaning of social change is a change in social structure.)

6. जॉन्स (Jones) के अनुसार,''सामाजिक परिवर्तन वह है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक के अंतः क्रियाओं या सामाजिक संगठनों के किसी भी पहलू से अंतर या परिवर्तन वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है।'' (Social change is a term used to describe variations in or modifications of only aspect of social process, social interactions or social organisation.)

सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों,

कार्य–विधियों, मूल्यों, सामाजिक संरचना एवं प्रकार्यों में होते हैं।

सामाजिक परिवर्तन में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जाता है :–

1. सामाजिक ढांचे में परिवर्तन (Change in social structure)
2. व्यक्ति एवं व्यक्तियों अथवा समूहों में विश्वासों मूल्यों में परिवर्तन (Change in value system of individual or groups)
3. सामाजिक संबंधों में परिवर्तन (Change in social relations)

2.4.4 सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ

(Characteristics of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित है

1. **जटिल (Complex)**: सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का माप–तोल (Measurement) असंभव है।

2. **एक सार्वभौमिक घटना (Universal Phenomenon)** : सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी, सर्वकालिक घटना है। मानव समाज के आरंभ से लेकर आज तक अनेक परिवर्तन हुए हैं और भविष्य में होते रहेंगे। समय के साथ–साथ परिवर्तन भी अनिवार्य हो जाता है।

3. **अवश्वम्भावी एवं स्वभाविक (Inevitable and Natural)** : परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अतः समय–समय पर परिवर्तन होना स्वाभाविक है। समाज भी प्रकृति का ही एक प्रमुखतम अंग होने के कारण परिवर्तन से बच नहीं पाता है। परिवर्तन की गति को रोकना असंभव हो जाता है। समाज में परिवर्तन कभी बलपूर्वक नियोजित किए जाते हैं तो कभी स्वाभाविक गति से।

4. **गति असमान (Change is Unequal)** : सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन की गति सर्वथा असमान होती है। समाज में परिवर्तन की गति के कारण भिन्न–भिन्न हैं। एक कारण से सभी प्रकार के परिवर्तन असंभव हैं। सामाजिक परिवर्तन का गहरा संबंध देश एवं काल तथा परिस्थितियों से होता है। एक देश की तुलना में दूसरे देश में, एक समय की तुलना में दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन की गति सर्वथा भिन्न होती है।

5. **सामाजिक परिवर्तन (Social Change)** : सामाजिक परिवर्तन का संबंध समाज में होने वाले विशेष परिवर्तन से है। अतः सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति संपूर्ण समाज की प्रकृति होती है ना की व्यक्तिगत।

6. **परिवर्तन नियोजित, अनियोजित दोनों (Planned or Unplanned both)** : सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज में सुनियोजित ढंग से कार्य किया जाता है जैसे शिक्षा का प्रसार। कई सामाजिक परिवर्तन स्वयं हो जाते हैं।प्रकृति ऐसे परिवर्तनों को प्रभावित करती है।

7. **सामाजिक परिवर्तन का आधार (Basis of Social Changes)** : सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक है। सामाजिक परिवर्तन किसी एक विशेष कारण से नहीं होता, बल्कि इसके लिए कई कारण उत्तरदाई होते हैं। उदाहरणतः जाति–प्रथा,धर्म, रूढ़िवादिता, संप्रदायिकता आदि सामाजिक परिवर्तन के कारण बनते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा व विशेषताओं की चर्चा करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन मनुष्य में रीति–रिवाजों, मूल्यों (Values) आदि में परिवर्तन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

2.4.5 सामाजिक परिवर्तन के कारक (तत्व) (कारण) (Factors of Social Change)

समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के प्रति विविध कारकों (कारणों) को उत्तरदायी माना है। 'सामाजिक परिवर्तन' के प्रमुख कारक निम्नलिखित है :–

आर्थिक कारक (Economic Factors)

सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारक है। इस संबंध में बीरस्टीड (Beirstead) का मत है ''इसमें संदेह नहीं है कि आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।''कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने भी सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। कार्लमार्क्स की दृष्टि में आर्थिक ढांचा ही समाज का प्रमुख ढाँचा है। मार्क्स (Marx) कहते हैं, कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व की तरफ से प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं– (1) पूंजीपति वर्ग (Capitalist), (2) श्रमिक वर्ग (Proletariat)। यह दोनों सदैव संघर्षरत रहते हैं। परिणामस्वरूप एक सामाजिक व्यवस्था नष्ट होती है और उसके स्थान पर दूसरी जन्म लेती है।

जनसंख्यात्मक कारक (Demographic Factors)

सामाजिक परिवर्तन लाने में जनसंख्यात्मक कारक का महत्वपूर्ण योगदान है। जनसंख्या की रचना, आकार, जन्म–मृत्यु दर, देशांतर गमन, इत्यादि जनसंख्यात्मक कारक माने जाते हैं। किसी देश में जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तथा मृत्युदर अधिक जनसंख्या घटेगी। जनसंख्या की प्रत्याशी वृद्धि अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। जैसे भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी व महामारी की समस्या। डार्विन (Darwin) का मत है कि जनसंख्या बढ़ने पर लोगों में अस्तित्व के लिए संघर्ष पड़ता है। संघर्ष में लोग मारे जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि युद्धों को जन्म देती है। जनसंख्यात्मक कारण सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय कारक (Biological Factors)

डार्विन (Darwin) के मत में सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारक महत्वपूर्ण है। जैविकीय कारकों से अभिप्राय ऐसे कारकों से है जो माता–पिता द्वारा वंशानुगत (Hereditary) में प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता तथा योग्यता, प्रजन्न दर, विवाह, आयु आदि सभी वंशानु संक्रमण एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होती है। सामान्यतः माना जाता है कि अंतरजातीय विवाह (Inter Caste) से प्रतिभाशाली संतान जन्म लेती है जो आविष्कारों द्वारा परिवर्तन लाने में में सशक्त होती है।

प्रौद्योगिक कारक (Technological Factors)

आधुनिक युग में सामाजिक परिवर्तन के कारकों में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्टि कारक है। विविध प्रकार के यन्त्रों का आविष्कार हमारे सामाजिक जीवन को परोक्ष–अपरोक्ष रूप से प्रभावित अवश्य करता है। स्पाइसर (Spicer)

का मत है कि, ''छोटे यन्त्रो के प्रयोग से मानवीय सम्बन्धों में विस्तृत एवं अपेक्षित परिवर्तन हुए हैं। कई सामाजिक परिवर्तन भी हुए हैं। स्त्रियों का कार चलाना, क्लब जाना तथा स्त्रियों की गतिविधियों में तेजी आने से पारिवारिक जीवन प्रभावित हुआ है।'' नित नए कल–कारखानों के खुलने से भारत में जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ। मैकाइवर (Maciver) का कहना है कि भाप के इंजन (Steam Engine) के आविष्कार ने हमारे सामाजिक, राजनीतिक जीवन को आशातीत रूप से प्रभावित किया है। यन्त्रीकरण ने मानव की जीवन शैली एवं विचार प्रणाली को पूर्ण रूपेण प्रभावित किया है।

सांस्कृतिक कारक (Cultural Factors)

सामाजिक परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन प्रथाओं, पुराने कानूनों, नैतिकता आदि के अर्थहीन हो जाने पर उनका स्थान, नई प्रथाएं, नए कानून ले लेते हैं। जैसे वर्तमान समय में जाति–प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा–विवाह जैसी प्रथाएँ क्षीणतर होती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप कई परिवर्तन हो गए हैं। अब विवाह केवल एक सामाजिक प्रथा बनकर रह गया है।

मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological Factors)

सामाजिक परिवर्तन मनोवैज्ञानिक कारणों से भी होता है। मानसिक असंतोष एवं संघर्ष सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं।अतएव परिवार के सदस्यों का तथा पति–पत्नी का मानसिक धरातल पर एक न हो पाना, सदैव प्रतिकूल मानसिकता बनाए रखना, पारिवारिक विघटन एवं विवाह विच्छेद का कारण बन जाता है। यदि मनुष्य की मानसिकता में बदलाव आ जाता है तो परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है।

प्राकृतिक या भौगोलिक कारक (Natural or Geographical Factors)

सभी प्राकृतिक या भौगोलिक वस्तुओं जैसे वन, पर्वत, ऋतुएँ, नक्षत्र, झरने, समुंदर, भूकंप आदी भौगोलिक कारक है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया है, फिर भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से नहीं बच पाया। प्राकृतिक शक्तियों की लीला विनाशक एवं भयंकर होती है। परिणामस्वरूप अनेक परिवार उजड़ जाते हैं, लोग आश्रयहीनया निराश्रित हो जाते हैं। जहां प्रकृति का भीषण, विनाशक रूप दृष्टिगोचर होता है वहां मनुष्य प्रकृति के सामने नतमस्तक हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण गांव व शहर उजड़ जाते हैं। लोग अन्य स्थानों पर बसने लगते हैं। वहां की सभ्यता, संस्कृति, रीति–रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों को अपनाने लगते हैं, जिससे सामाजिक संरचना तथा मूल सिद्धांत में परिवर्तन आ जाता है।

महान लोगों की भूमिका (The Role of Great Man)

सामाजिक परिवर्तन लाने में महान पुरुषों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज को परिवर्तित करने में अनेक महापुरुषों ने योगदान दिया है जिनमें हिटलर (Hitler), मुसोलिनी (Mussolini),चर्चिल (Churchill), गांधी (Gandhi) के नाम शीर्षस्थ हैं। भारतीय समाज में सुधार के लिए राजा राममोहन राय (Raja Ram Mohan Roy), स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekanand), स्वामी दयानंद सरस्वती (Swami Dayand Saraswati) आदि महापुरुषों के प्रयास प्रशंसनीय हैं।'बीस सूत्रीय कार्यक्रम'(Twenty Point Programme) तथा 'गरीबी हटाओ कार्यक्रमों' के माध्यम से इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने भारतीय समाज में परिवर्तन एवं सुधार के अथक प्रयास किए जो अभूतपूर्व है।

राजनीतिक तथा सैनिक कारक (Political and Military Factors)

राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इतिहास अतीतकालीन राजनीति है

(History is past politics and politics is present history) और राजनीति वर्तमान कालीन इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि सत्ता के परिवर्तन होने पर समाज में अनेक परिवर्तन से सहसा ही हो जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपनी स्वतंत्र नीति होती है। एक राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे दल के सत्ता में आने पर सामाजिक परिवर्तन भी संभव हो जाता है। बीरस्टीड (Birsteid) का कथन है कि ''कई लेखकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन युद्धों, छिटपुट लड़ाईयों, विजय और पराजय तथा वंशों और महायुद्धों की कहानी है।'' युद्धों की कहानियां भी सामाजिक परिवर्तन की कहानियां बन जाती है युद्धों के कारण के कारण समाज में अनेक परिवर्तन आते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसका संपूर्ण विवेचन किसी एक कारक पर आधारित नहीं है।

2.4.6 सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधाएं

(Hindrances in the Way of Social Change)

ए०डब्ल्यू० ग्रीन (A.W. Green) लिखता है कि,''सामाजिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि सभी समाजों में असंतुलन की व्यवस्था निरंतर बनी रहती है।'' (Social change occurs because all societies are in constant state of diseguilibrium.) समाज में कोई भी परिवर्तन चाहेवह अल्पकालीन है अथवा दीर्घकालीन; लोगों द्वारा सहज ही स्वीकार नहीं किया जाता। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास किया तो लोगों ने इस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। निम्नलिखित तत्त्व सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा खड़ी करते हैं।

यथास्थिति की इच्छा (Desire of Status quo)

समाज का रूढ़िवादी स्वरूप यथास्थिति (Status quo) की इच्छा को प्रबल करता है। यथास्थिति से अभिप्राय है,''जो स्थिति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन ने किया जाए।'' समाज में जो लोग रूढ़िवाद, परंपरावाद इत्यादि का समर्थन करते हैं,वे यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। उनका सोचना है कि यदि समाज में कोई भी परिवर्तन किया गया तो इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा।

अज्ञानता (Ignorance)

अज्ञानता भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में अज्ञानता अंधकार के समान है, जिसमें प्रगति के लिए किए गए प्रयास लुप्त हो जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी, भाग्यवादी, निष्क्रिय और प्रथाओं का दास होता है। अज्ञानी व्यक्तियों वाला समाज ने तो नवीन परिवर्तनों को समझ सकता है और न ही उन्हें शायद स्वीकार करने को तैयार होता है।

रूढ़िवादी स्वरूप (Conservative Character)

सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा समाज की रूढ़िवादी अथवा परंपरावादी स्वरूप (Conventional or Traditional) है। समाज में लोग प्रायः परंपरावादी होते हैं। लोग पुरानी परंपराओं और दूरियों से विशेष लगाव रखते हैं। ऐसा समाज किसी भी परिवर्तन का तीव्र विरोध करता है।

आलस्य (Indolence)

एक आलसी व्यक्ति समाज और राष्ट्र पर बोझ होता है। वह न तो स्वयं कुछ करता है और ना ही अन्य को कुछ

करने देता है। एक सुस्त और आलसी व्यक्ति 'कोल्हू के बैल' की तरह जैसा जीवन चल रहा है, उसी में व्यस्त रहता है। वह किसी नए मार्ग पर चलना पसंद नहीं करता।

निहित सवार्थ (Vested Interest)

निहित स्वार्थ भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में रुकावट है। प्रायः जब–जब भी सामाजिक परिवर्तन होता है, तब–तब इसका उन लोगों द्वारा तीव्र विरोध किया जाता है, जिसके निहित स्वार्थी हित प्रभावित हुए। उदाहरण के लिए भारत में 'जमींदारी प्रथा' को समाप्त किया गया, तो इसका जमींदारों ने कड़ा विरोध किया।

धार्मिक रूढ़िवाद (Religious Fundamentalisms)

धार्मिक रूढ़िवादिता व्यक्ति को आत्म केन्द्रित, संकीर्ण, अन्धविश्वासी, भीरू, भाग्यवादी तथा निष्क्रिय बना देती है। मार्क्स (Marx) के अनुसार, ''धर्म लोगों के लिए अफीम (Opium) का कार्य करती है। धार्मिक रूढ़िवादिता व्यक्ति की विवेकशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर पर्दा डाल देती है। इससे व्यक्ति परम्परावाद का भक्त हो जाता है और सामाजिक परिवतर्न का विरोध करता है।

जाति प्रथा (Caste System)

सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में जाति–प्रथा भी बाधा उत्पन्न करती है। जाति–प्रथा वास्तव में यथास्थिति (Status quo) की ही पोषक है। उच्च जातियां समाज में सदैव अपना प्रभुत्व एवं वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। ऐसी जातियां सामाजिक परिवर्तन का विरोध करती है।

ऊंची कीमत (High Cost)

कई बार किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए समाज इतनी ऊंची कीमत पर प्राप्त किए गए सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। उदाहरण के लिए कई बार लोगों का बलिदान देकर सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरणतः रूसी क्रांति के लिए वहां की जनता को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। कोई भी रक्तपात अथवा भारी कीमत पर होने वाला परिवर्तन समाज में सरलता से स्वीकार नहीं किया जाता

निष्कर्ष (Conclusion)

उपरोक्त तत्व सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधाएँ हैं। तीन बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है कि लोगों का दृष्टिकोण विकसित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो परिस्थितियों के अनुकूल सामाजिक परिवर्तन की क्षमता रखती हो।

2.4.7 सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत (Theories of Social Change)

सामाजिक परिवर्तन एक स्वभाविक क्रिया है, क्योंकि समाज स्थिरन होकर गतिशील है। अतः समाज में समय बदलने के साथ–साथ सामाजिक परिवर्तन में कुछ या अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह परिवर्तन क्यों होते हैं? परिवर्तन होने के क्या कारण हैं? इन कारणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। सामाजिक परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करने वाले इन विचारों को हम ''सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत'' कहते हैं। सामाजिक परिवर्तनों से संबंधित मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं :–

पतन का सिद्धांत (Theory of Deterioration)

कुछ विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तनों को पतन (Deterioration) के समान माना है। इन विद्वानों के मतानुसार आरंभ में मनुष्य बहुत ही शांति में अवस्था में रहता था। यह अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था थी, परंतु धीरे–धीरे की स्थिति का पतन होने लगा। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य के चार युग से होकर गुजरा है :–

1. **सत्ययुग (Satya Yug) :**'सत्ययुग' सबसे बढ़िया था क्योंकि इस युग में मनुष्य ईमानदार, सच्चा और पूर्ण रूप से सुखी था।
2. **त्रेता युग (Treta Yug)** : सतयुग का धीरे–धीरे ह्रास होने लगा और त्रेता युग आया।
3. द्वापर युग (Dwapar Yug) : त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया
4. **कलयुग (Kal Yug)** : अब जो युग चल रहा है, उसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। कलयुग में मानव बेईमान,स्वार्थी,झूठा, कपटी, विश्वासघाती इत्यादि बन गया है, जिस कारण आज मनुष्य दुखी है।

चक्रीय सिद्धांत (Cyclic Theory)

चक्रीय सिद्धांत (Cyclic) सामाजिक परिवर्तन का बहुत पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव समाज में निरंतर दिन–रात,ऋतु तथा जलवायु संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। स्पेंग्लर (Sperngler) ने अपनी पुस्तक (Decline of the west) में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। स्पेंग्लर ने अपने पर्यवेक्षण में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक विशाल शरीर की भांति निम्न तीन अवस्थाओं से गुजरा है।

(1) जन्म (Birth)

(2) बाल्यावस्था (Childhood)

(3) प्रौढ़ता(Maturity)

या

(1) उन्नति,

(2) विनाश,

(3) विघटन

स्पेंग्लर (Sprengler) का कहना है कि समाज जन्म–मृत्यु के समान चक्रवत घूमता रहता है। इस चक्र को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। आज का समाज अपनी वृद्धावस्था में है। इसका पूर्णतया पतन होने के बाद, फिर जन्म, विकास, प्रौढ़ावस्था तथा मृत्यु का चक्र शुरू होगा।

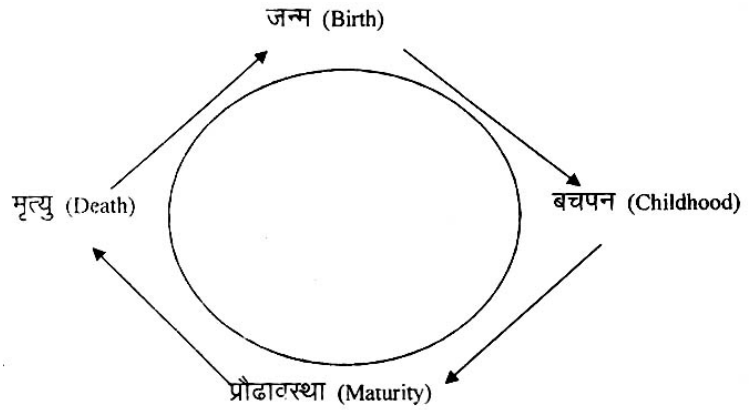

परेटो (Pareto) ने चक्रीय परिवर्तन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। उनका विचार है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में दो वर्ग पाए जाते हैं

(1) उच्च वर्ग, (2) निम्न वर्ग

टायनबी (Toynbee) ने अपनी पुस्तक (A Study of History) में चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके मतानुसार सामाजिक जीवन में युवावस्था (Youth), प्रौढ़ावस्था (Maturity), पतोन्मुख अवस्था (Decline) आती है। पतन की अवस्था में सामाजिक कार्यों का पतन हो जाता है। सोरोकिन (Sorokin) ने अपनी पुस्तक (Social Cultural Dynamics) में सक्रिय सिद्धांत को अपनाया। बार्न्स (Borns) के शब्दों में ''सोरोकिन इस सिद्धांत पर पहुंचा की ऐतिहासिक दृष्टि सेन तो प्रगति हुई है और ना ही कोई चक्रवतगति हुई है। ("Sarokin's comes to the conclusion that, view in historical perspective there has not been any progress, nor has these been any cyclical movement.")

विकासवादी सिद्धांत (Evolutionary Theory)

इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सदैव विकास की ओर धीरे–धीरे होता है। अगस्त कामटे (August Comte)इस सिद्धांत का महान समर्थक हुआ है। काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है–

1. **ईश्वरीय परक विचारधारा की अवस्था (Theological Stage)** : इस पहली अवस्था में मनुष्य ईश्वरीय सत्ता को ही सब कुछ मानता है।
2. **आत्मविद्या अवस्था (Metaphysical Stage)** : दूसरी अवस्था में मनुष्य ने सामाजिक तत्वों की अमूर्त व्यवस्था कर दी।
3. **साकारात्मक अवस्था (Positive Stage)** : तीसरी अवस्था में मनुष्य ने वास्तविक कारणों की खोज की।

हरबर्ट स्पेंसर (Herbert Spencer) ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उसका कहना है कि मानव समाज उच्च अवस्था की ओर निरंतर प्रगति कर रहा है। स्पेंसर (Spencer) ने सामाजिक अवस्था को तीन भागों में बांटा है

1. आक्रमण युद्धावस्था (Offencive Warfare)
2. रक्षात्मक युद्धावस्था (Defensive Warfare)

3. औद्योगिक अवस्था (Industrial Stage)

मैकाइवर (Maciver) का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन कभी भी इतना सीधा नहीं हो सकता जितना की इस सिद्धांत के समर्थक समझते हैं।

संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत (Structural Functional Theory)

संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का समर्थन आधुनिक समाजशास्त्रियों जैसे कि पार्सन (Persons) और मार्टन (Morton) आदि ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसारप्रत्येक सामाजिक अवस्था (Social System) के दो पहलू हैं, संरचनात्मक पहलू में सभी के सभी विभिन्न अंग आ जाते हैं और जब भाग में परिवर्तन होता है तो इसका अन्य अंगों या भागों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी अंग की कार्य–प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, तो इसका समस्त सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और समाज के परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए भी हम विवाह (Marriage) संबंधी प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन करें तो इसका परिवार, जाति–प्रथा आदि पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

आलोचना
(Criticism)

संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि इस सिद्धांत के अधीन सामाजिक परिवर्तन के सभी तत्वों के विश्लेषण को उचित स्थान नहीं दिया गया।

सचेतक सिद्धांत (Teleological Theory)

अनेक समाज शास्त्रियों का यह विचार है कि सचिव तथा क्रमबद्ध प्रयत्नों से सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वार्ड (Ward) इस सिद्धांत का महान समर्थक है। वार्ड सामाजिक परिवर्तन को न तो विकासवादी और ना ही स्वाभाविक मानता है, बल्कि उसका मत यह है कि उद्देश्य प्रयत्नों (Purposive efforts) तथा सुचेत योजनाओं (Consious Planning) द्वारा ही अधिक प्रगति हो सकती है। हॉब हाउस (Hobhouse) का कहना है कि विवेक (Reason) पर नियंत्रण करने से पर्याप्त प्रगति हो सकती है। मनुष्य के स्वभाव में विवेक (Reason) का विकास होना अनिवार्य है, ताकि विवेक का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए किया जा सके।

आलोचना (Criticism)

सचेतक सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन पूर्णतः नियोजित (Planned) न तो होता है और न ही हो सकता है।

निश्चयात्मक सिद्धांत (Deterministic Theories)

कुछ विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन की एक तत्व के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया है। इनमें से हीगल (Hegal) तथा कार्ल मार्क्स (Karl Marx) का सिद्धांत मुख्य है। हीगल (Hegal) का द्वंदात्मक आदर्शवाद (Dialectical Idealism) तथा कार्ल मार्क्स (Karl Marx) का आर्थिक निश्चियात्मकता (Economic Determinism) सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है।

हीगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत (Theory of Dialectical Idealism of Hegal)

हीगल (Hegal) के मतानुसार विश्व के निर्माण तथा परिवर्तन में विचार (Idea) की मुख्य भूमिका है, विचारों में परिवर्तन आने से सामाजिक परिवर्तन होते हैं। विचारों के विकास से ही विश्व की सभी वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अतः हीगल के मतानुसार सामाजिक परिवर्तन की जड़ विचार का विकास है और सभी परिवर्तन इसी कारण होते हैं।

आलोचना (Criticism)

हीगल (Hegal) का यह विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी एक तत्वों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करना ठीक नहीं है।

मार्क्स का आर्थिक निश्चयात्मक सिद्धांत (Maraxian Theory of Economic Determinism)

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने सामाजिक परिवर्तनों का आधार आर्थिक तत्वों को माना है। कार्ल मार्क्स (Karl Marx)ने अपनी पुस्तक (A Contribution of the critique of political Economy) में निश्चयवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने कहा है ''मनुष्य सामाजिक उत्पादन में कुछ निश्चित संबंध कायम करते हैं जोकि अनिवार्य होते हैं और उनकी इच्छाओं से स्वतंत्र होते हैं। भौतिक अविष्कारों से पहले मालिक तथा मजदूरों दोनों की आर्थिक दशा में विशेष अंतर नहीं था। परंतु ज्यों–ज्यों यांत्रिक आविष्कारों में वृद्धि होती गई, त्यों–त्यों समाज में तीव्रता से परिवर्तन होने लगे। अमीर अधिक अमीर होने लगे तथा निर्धन अधिक निर्धन होने लगे। इस प्रकार दो विरोधी वर्ग अमीर (Haves) तथा गरीब (Havenots) पैदा हो गए। ये वर्ग भेद वर्ग युद्ध (Class War) को जन्म देते हैं। वर्ग युद्ध में गरीब की जीत होती है तथा इसके पश्चात वर्गहीन समाज (Classless Society) का जन्म होता है।

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) ने यह कहा था कि यह आर्थिक प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती रहती है। मार्क्स (Marx) सामाजिक परिवर्तनों को ुख्य पांच भागों में बांटा है :–

1. पूर्वदेशीय अवस्था (Oriental)
2. प्राचीन अवस्था (Ancient)
3. सामंतवादी अवस्था (Feudal)
4. पूंजीवाद अवस्था (Capitalistic)
5. समाजवादी अवस्था (Communistic)

आलोचना (Criticism)

आर्थिक पक्ष पर अत्यधिक जोर

इसमें आर्थिक पक्ष पर अधिक जोर डाला जाता है। इसमें धार्मिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक, तथा अन्य कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है।

2.4.13 निष्कर्ष

2.4.14 मुख्य शब्दावली

-
-

2.4.15 अभ्यास हेतु प्रश्न

2.4.16 संदर्भ सूची

- N.P. Barry. Introduction to Modem Political Theory, London, Macmillan, 1995.
- M. Carnoy, The State and Political Theory, Princeton NJ, Princeton University Press, 1984.
- G. Catlin, A Study of the Principles of Politics, London and New York, Oxford University Press, 1930.
- N.J. Hirschman and C.D. Stefano (eds.), Revisioning the Political Feminist Reconstruction of Tradition concepts in Western Political Theory, West View Press, Harper Collins, 1996.
- D. Heater, Citizenship: The Civic Ideal in World History, Political and Education, London, Orient Longman, 1990.
- D. Held, Models of Democracy, Cambridge, Polity Press, 1987, G Mclellan, D. Held and S. Hall (eds.), The Idea of the Modem Slate, Milton Keynes, Open University Press, 1984.
- D. Miller, Social Justice, Oxford, The Clarendon Press, 1976.
- D. Miller, (ed.), Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1991.
- D. Miller, Citizenship and National Indentities, Cambridge, Polity Press, 2000.
- S. Ramaswamy, Political Theory: Ideas and concepts, Delhi Macmillan, 2002.
- R.M. Titmuss, Essays on the Welfare State, London, George Allen and Unwin, 1956.
- F. Thakurdas. Essays on Political Theory, New Delhi, Gitanjali, 1982.
- J. Waldron(ed.), Theories of Rights, New Delhi, Oxford University Press 1984.
- S. Wasby, Political Science: The Discipline and its Dimensions, Calcutta, Scientific Book Agency, 1970.